REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226170 CG-DL-E-26032021-226170

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

No. 163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 212(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परंतुक, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv), उपखंड (v) और उपखंड (vi), धारा 35 की उपधारा (1) के पहले और पांचवे परंतुक, धारा 35 की उपधारा (1क), धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 80छ की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) और खंड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुल नियम कहा गया है) के नियम 2ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख जाएगा, अर्थात् :--

"2ग. धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आवेदन— (1) धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) का अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित प्ररूप में किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (iv) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष ; या
- (ii) धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10कख को उक्त परंतुक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) जहां किसी लिखत के अधीन आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, ऐसे बनाए गए या स्थापित किए गए लिखत के आवेदक की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ख) जहां किसी लिखत से अन्यथा आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, आवेदक के बनाए जाने या स्थापना किए जाने के साक्ष्य वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ग) यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार और फर्म या सोसाइटी के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
- (ङ) धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (च) धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने के आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;
- (छ) जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं;
- (ज) जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार, कोई कारबार उपक्रम किया जाता है और आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के किसी पूर्ववर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (झ) जहां आवेदक की आय में धारा 11 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार कारबार का लाभ या अभिलाभ शामिल है और आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के पूर्ववर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे कारबार के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ञ) आवेदक के क्रियाकलापों को नोट किया जाए ।
- (3) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,--
 - (i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;
 - (ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(4) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(5) प्ररूप सं. 10क में किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्ररूप सं. 10कग में धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन लिखित में अनुमोदन प्रदान किए गए किसी आदेश को पारित करेगा और उपनियम (1) के खंड (i) के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि प्ररूप सं. 10क को पूर्णत: या भागत: प्रदान न करके या मिथ्या या गलत जानकारी देकर या उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दिए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या उपनियम (3) या उपनियम (4) की अपेक्षाओं का पालन न करके सम्यक् रूप से नहीं भरा गया है, तो उपनियम (5) में यथापेक्षित प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्ररूप सं. 10कग में प्रदान किए गए अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा और उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) और प्ररूप सं. 10कग में दिया गया ऐसा अनुमोदन या ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को ऐसा समझा जाएगा कि उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया है या जारी नहीं किया गया है।

(7) तारीख 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष के दौरान धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परन्तुक के खंड (iv) के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में, अनंतिम अनुमोदन 1 अप्रैल, 2022 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से प्रभावी होगा ।

(8) उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्ररूप सं. 10कख में किए गए किसी आवेदन की दशा में, धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के अधीन अनुमोदन या अस्वीकृति या रद्द के आदेश को प्ररूप 10कघ में दिया जाएगा और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो ऐसी दशा में, सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा ।

(9) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

- (i) प्ररूप, डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा :
 - (क) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को प्रस्तुत करके या सत्यापन करके ;
 - (ख) धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन आदेश पारित करके ।
- (ii) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररूप या इस प्रकार पारित किए गए आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।''।

3. मूल नियमों के नियम 5ग में,---

- (क) उपनियम (1) में,--
 - (अ) खंड (i) में, ''प्ररूप सं. 3गच-1 में दूसरी प्रति'' शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, ''प्ररूप सं. 3गच'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
 - (आ) खंड (ii) में, ''प्ररूप सं. 3गच-2 में दूसरी प्रति" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, ''प्ररूप सं. 3गच" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ख) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--
 - "(1क) प्ररूप सं. 3गच को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,--
 - (i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;
 - (ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(1ख) प्ररूप सं. 3गच को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा-लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(1ग) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) प्ररूप सं. 3गच में प्रस्तुत करके या सत्यापन करके प्ररूप, डाटा संरचना मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ;

(ii) प्रस्तुत किए गए उक्त आवेदन के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।''।

(ग) उपनियम (2) में, "3गच-1" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "3गच" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (3) में, यथास्थिति, ''3गच-1'' या ''प्ररूप सं. 3गच-2'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''3गच'' अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ङ) उपनियम (5) में, ''3गच-1'' या ''प्ररूप सं. 3गच-2'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''3गच'' अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

4. मूल नियमों में, नियम 5ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"5गक. धारा 35 की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक के अधीन सूचना- (1) उक्त उपधारा के खंड (iiक) में निर्दिष्ट किसी शोध संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) द्वारा धारा 35 की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक के अधीन दी गई कोई सूचना प्ररूप सं. 10क में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त को की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोइ आवेदन, प्ररूप सं. 10क द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा—

(क) जहां किसी लिखत के अधीन आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, उस लिखत की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ख) जहां किसी लिखत से अन्यथा आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, आवेदक के बनाए जाने या स्थापना किए जाने के साक्ष्य वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ग) यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्म और सोसाइटी के रजिस्ट्रार या लोक न्यास और अन्य रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति ;

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्वप्रमाणित प्रति ।

(3) प्ररूप सं. 10क को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,--

(i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(4) प्ररूप सं. 10क ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(5) प्ररूप सं. 10क में किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त उपनियम (1) के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि प्ररूप सं. 10क को पूर्णत: या भागत: प्रदान न करके मिथ्या या गलत जानकारी देकर या उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दिए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या उपनियम (3) या उपनियम (4) की अपेक्षाओं का पालन न करके सम्यक् रूप से नहीं भरा गया है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त उपनियम (5) में यथापेक्षित सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसा अनुमोदन या ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को ऐसा समझा जाएगा कि उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया है या जारी नहीं किया गया है।

(7) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) प्ररूप सं. 10क प्रस्तुत करके या सत्यापन करके प्ररूप, डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ;

(ii) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए उक्त प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

5. मूल नियमों के नियम 5च के उपनियम (2) में,--

(i) खंड (क) में, ''प्ररूप सं. 3गच-3 में दूसरी प्रति" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, ''प्ररूप सं. 3गच में दूसरी प्रति" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

''(कक) प्ररूप सं. 3गच को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,--

(i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(कख) प्ररूप सं. 3गच को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो आवेदक को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(कग) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) प्ररूप सं. 3गच प्रस्तुत करके या सत्यापन करके प्ररूप, डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ;

(ii) किए गए उक्त आवेदन के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।''।

(iii) खंड (ख) में, "3गच-3" अंक और अक्षर के स्थान पर, "3गच" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (घ) में, ''3गच-3'' अंक और अक्षर के स्थान पर, ''3गच'' अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

6. मूल नियमों में, नियम 11कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"11कक. धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन संस्था या निधि के अनुमोदन के लिए अपेक्षा--(1) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन किसी संस्था या निधि (इसे इसमें इसके पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) के अनुमोदन के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित प्ररूप में किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (iv) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष ; या

(ख) धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10कख उक्त परंतुक के अधीन प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) जहां किसी लिखत के अधीन आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ख) जहां किसी लिखत से अन्यथा आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, आवेदक के बनाए जाने या स्थापना किए जाने के साक्ष्य वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ग) यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्म और सोसाइटी के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति ;

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (iv) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति ;

(च) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (iv) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने के आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;

(छ) जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं ;

(ज) आवेदक के क्रियाकलापों को नोट किया जाए ।

(3) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,–

(i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(4) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा-लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(5) प्ररूप सं. 10क में किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्ररूप सं. 10कग में धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन लिखित में अनुमोदन प्रदान किए गए किसी आदेश को पारित करेगा और उपनियम (1) के खंड (i) के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि प्ररूप सं. 10क को पूर्णत: या भागत: प्रदान न करके या मिथ्या या गलत जानकारी देकर या उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दिए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या उपनियम (3) या उपनियम (4) की अपेक्षाओं का पालन न करके सम्यक् रूप से नहीं भरा गया है, तो उपनियम (5) में यथापेक्षित प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्ररूप सं. 10कग में प्रदान किए गए अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा और उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) और प्ररूप सं. 10कग में दिया गया ऐसा अनुमोदन या ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को ऐसा समझा जाएगा कि उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया है या जारी नहीं किया गया है।

(7) धारा 80छ के खंड (iv) के पहले परन्तुक के उपखंड 5 के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में, अनंतिम अनुमोदन उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से प्रभावी होगा ।

(8) उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्ररूप सं. 10कख में किए गए किसी आवेदन की दशा में, धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के अधीन अनुमोदन या अस्वीकृति या निरस्त के आदेश को प्ररूप 10कघ में दिया जाएगा और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो ऐसी दशा में, सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा ।

(9) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ।

- (क) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को प्रस्तुत करके या सत्यापन करके ;
- (ख) धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन आदेश पारित करके ;
- (ii) यथास्थिति इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररूप या इस प्रकार पारित किए गए आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।''।

7. मूल नियमों के नियम 17क में, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् –

"**17क. पूर्त या धार्मिक न्यासों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन आदि |** (1) पूर्त या धार्मिक न्यासों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पूर्त या धार्मिक न्यास या संस्थान (जिसे इसमैं इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) के अधीन आवेदन निम्नलिखित रुप से किया जाएगा अर्थात्

- (i) धारा 10 क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (ii) या (iii) या (lv) के अधीन आवेदन के मामले में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजेगा।
- (ii) धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (ii) या (iii) या (iv) या (v) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररुप सं. 10कख उक्त खंड के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजा जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) जहां किसी लिखत के अधीन आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, ऐसे बनाए गए या स्थापित किए गए लिखत के आवेदक की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ख) जहां किसी लिखत से अन्यथा आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, आवेदक के बनाए जाने या स्थापना किए जाने के साक्ष्य वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ग) यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार और फर्म या सोसाइटी के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति ;

- (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है
- (ड.) यथास्थिति धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12 कख के अधीन रजि्स्ट्रेशन प्रदान करने वाले वर्तमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति;
- (च) धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (छ) धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने के आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;
- (ज) जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं ;
- (झ) जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार, कोई कारबार उपक्रम किया जाता है और आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के किसी पूर्ववर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ञ) जहां आवेदक की आय में धारा 11 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार कारबार का लाभ या अभिलाभ शामिल है और आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के पूर्ववर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे कारबार के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ट) आवेदक के क्रियाकलापों को नोट किया जाए ।

(3) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,--

- (i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;
- (ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(4) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(5) प्ररूप सं. 10क में किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्ररूप सं. 10क्म में धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन लिखित में अनुमोदन प्रदान किए गए किसी आदेश को पारित करेगा और उपनियम (1) के खंड (i) के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि प्ररूप सं. 10क को पूर्णत: या भागत: प्रदान न करके या मिथ्या या गलत जानकारी देकर या उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दिए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या उपनियम (3) या उपनियम (4) की अपेक्षाओं का पालन न करके सम्यक् रूप से नहीं भरा गया है, तो उपनियम (5) में यथापेक्षित प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्ररूप सं. 10कग में प्रदान किए गए अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा और उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) और प्ररूप सं. 10कग में दिया गया ऐसा अनुमोदन या ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को ऐसा समझा जाएगा कि उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया है या जारी नहीं किया गया है।

(7) तारीख 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष के दौरान धारा 12क की उपधारा 1के खंड कग के उपखंड (vi)) के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में, अनंतिम अनुमोदन 1 अप्रैल, 2022 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से प्रभावी होगा ।

(8) उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्ररूप सं. 10कख में किए गए किसी आवेदन की दशा में, धारा 12कख के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के अधीन अनुमोदन या अस्वीकृति के आदेश को प्ररूप 10कघ में दिया जाएगा और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो ऐसी दशा में, सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) धारा 12कख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा ।

(9) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

- (i) प्ररूप, डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा :
 - (क) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को प्रस्तुत करके या सत्यापन करके ;
 - (ख) धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन आदेश पारित करके ।

(ii) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररूप या इस प्रकार पारित किए गए आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।''।

(8) मूल नियमों में, नियम 18 ककककक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

18कख धारा 80छ की उपधारा 5 के खंड (viii) और खंड (ix) या धारा 35 की उपधारा (1क) के अधीन विशिष्टयों का विवरण और प्रमाणपत्र

प्रस्तुत करना – (1) धारा 80छ की उपधारा 5 के खंड (viii) और खंड (i) या धारा 35 की उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी , यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) होगा ।

(2) धारा 80छ की उपधारा 5 के खंड (viii) और खंड (i) या धारा 35 की उपधारा (1क) के अधीन किसी अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी या निधि द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण, प्ररुप संख्या 10खघ में 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वित्तीयवर्ष के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें इंगित रीति में सत्यापित किया जाएगा

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्टकर्ता व्यक्ति, किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए प्राप्त राशियों का अवधारण करने हेतु रकमों का योग करते समय,-

(i) वित्तीयवर्ष के दोरान उस व्यक्ति द्वारा संदत्त उसी प्रकृति के सभी संदानो को विचार में लेगा, और

(ii) उस मामले में जहां संदान एक से अधिक व्यक्ति के नाम में अभिलिखित किया जाता है, संदान के मूल्य को अनुपातिक रुप से निर्धारित करेगा या सभी व्यक्तियों को सभी संदानों के कुल मूल्य को निर्धारित करेगा और जहां दानकर्ताओं द्वारा कोई अनुपात विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, सभी दानकर्ताओं को समान रुप से निर्धारित करेगा। (4) प्ररुप संख्या 10 खघ,- (i) डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा यदि आय की विवरणी को डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ,

(ii) उस मामले में जो खंड (i) के अंतर्गत नहीं आता, इलैकट्रानिक सत्यापन के माध्यम से इलैक्ट्रानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) प्ररुप संख्या 10 खघ उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो निर्धीरीती को यथाअनुयोज्य धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(6) रिपोर्टकर्ता वयक्ति दानकर्ता को प्ररुप 10 खड. म<u>ें धारा 80छ</u> की उपधारा 5 के खंड (ix) और या धारा 35 की उपधारा (1क) खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट वित्तिय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे दानकर्ता से प्राप्त रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(7) यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली)

(i)(क) डाटा संरचना, प्ररुप संख्या 10 खघ को प्रस्तुत करने और उसके सत्यापन के मानक और प्रक्रिया, एकल या बहल, अधिकथित करेगा;

(ख) प्ररुप 10 खघ में प्रस्तुत किसी गलती को सुधारने या सूचना को जोड़ने, हटाने या अध्यतन करने के लिए सुधार कथन प्रस्तुत करने के प्रक्रिया अधिकथित करेगा, और

(ग) प्ररुप 10ड. में प्रमाणपक्षों के सुजन और डाउनलोड करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, प्ररुप और मानक अधिकथित करेगा ।

(ii) (क) इस प्रकार प्रस्तुत प्ररुप संख्या 10 खघ के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनःप्राप्ति नितियों को विरचित और कार्यान्वयित करने के लिए उत्तरदायी होगा और

(ख) उसके द्वारा या उसके द्वरा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेबपोर्टल से प्ररुप 10 खड. में प्रमाणपत्रों के सृजन और डाउनलोड के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(8) उपनियम (6) में निदिष्ट प्रमाणपत्र उस वित्तीय वर्ष जिस मैं संदान प्राप्त किया जाता है, के ठीक पूर्ववर्ती 31 मई को या उसके पूर्व दानकर्ता को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

(9) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररुप 10 खघ उस वित्तीय वर्ष जिस मैं संदान प्राप्त किया जाता है, के ठीक पूर्ववर्ती 31 मई को या उसके पूर्व दानकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा ।

9 परिशिष्ट II में मुख्य नियमों में,-

(i) प्ररूप 3गच-I, प्ररूप 3गच-II तथा प्ररूप 3गच-III के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

	1	पैन	;	क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च				
	2	धारा कोड < ड्राप डाउन >															
	3	गठन का प्रकार	न्य	ास	[सोसाः	, C	-	ारा 8		◘	कोई अ		₽	अन्य	□
							टी		कं	पनी			कंपनी				
	3क	क्या आवेदक किसी लिखत के अधीन स्थापित किया गया है?	हाँ			₽					;	नहीं		₽			
	3ख	निगमन/सृजन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख															
	3ग	रजिस्ट्रीकरण या निगमन संख्या															
यौरे	3घ	रजिस्ट्रीकरण/निगमन प्रदान करने वाला प्राधिकारी															
- बीरे	4	क्या आवेदक दर्पण पोर्टल पर या एफसीआरए अधिनियम के अधीन या आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	हाँ						þ		;	नहीं				₽	
	4क	सुसंगत विधि/पोर्टल															
	4ख	रजिस्ट्रीकरण संख्या															
	4ग	रजिस्ट्रीकरण संख्या की तारीख															
	4घ	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी															
	4ङ	तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है															
	5	क्या आय-कर अधिनियम <i>, 1961</i> की धारा 35(1)(ii)/(ii <i>क</i>)/(iii) <i>के</i> अधीन अनुमोदन के लिए आवेदक द्वारा किया गया कोई आवेदन गत समय में अस्वीकार किया गया है?	हाँ				þ	नही						Ę	b		

"प्ररूप सं. 3गच (नियम 5ग, नियम 5घ, नियम 5ड और नियम 5च देखें) रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन

	6क				(कों)/न्यासी(न्या रियों)/ के ब्यौरे		/समाज के र	ादस्य शासी	परिषद् के र	सदस्यों/निरं	देशक(कों)/	शेयरध	ारकों, जो	. शेयरध	ारण का 5% या	
मुख्य व्यक्तियों के ब्यौरे		क्रम संख्या	नाम	संबंध	शेयरधारक दशा शेयरधारण प्रतिशतता	की में की	विशिष्ट पहर	वान संख्या	आईडी कोड	5	पता		मोबाइल संख्या	τ	ईमेल पता	
मुख्य व्य	6ख	यदि व्यक्तियों मे स्वामी (5% या				त है)	ऐसा व्यष्टि र	नहीं है, तो गं	 ऐसे नैसर्गिक	व्यक्ति, जो	क्ति, जो आवेदन की तारीख को ऐसे व्यक्ति के हिताधिक					
		क्रम संख्या		नाम विशिष्ट पह		ान संख्या आईडी		आईडी को	कोड		पता			हिताधिकारी स्वामित्व की प्रतिशतता		
	7	प्रयोगशाला/अनुसंधान सुविधा/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थान, जिसका आवेदक द्वारा प्रबंध/नियंत्रण/प्रशासन किया जा रहा है, के ब्यौरे											ा है/उस	के स्वामित्वाधीन		
		प्रयोगशाला/			पता		क्या आवेल	रक के			भार	साधक व्य	क व्यक्ति			
		अनुसंधान सुविधा/	Ť		की प्रकृति			स्वामित्वाधीन है? (<i>हां/नहीं</i>)			संपर्क	पर्क संख्या ईमेल आईडी		ाईडी	विशिष्ट पहचान संख्या	
		विश्वविद्यालय ,	आती है?												संख्या	
		/ महाविद्यालय/	(हां/नहीं)													
		अन्य संस्था														
		का नाम														
ት	8	यदि आवेदक की कारबार के लाभ और अभिलाभ प्रकृति की कोई आय है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें														
गर्यचालन संबंधी ब्यौरे					र की प्रकृति			कारबार का पता			क्या अल गई हैं?			गग-अलग खाता बही रखी		
ञ		हां/नहीं										हा	/नहीं			
	9				नो बैंककारी कंप म की धारा 51									यम, 1	949 (1949 का	
		क्र. वि [.] सं.	त्तीय संस्था क	ा आईएफएस	कोड		वित्तीय संस्था का नाम					खाता स	गंख्या			
	10	आवेदक द्वारा ध	ग्रारित सभी भृ ।	मि या भवन	या दोनों के ब्यौरें ।	रे		r								
		भूमि या भवनों पता	का भूमि या मीटर मे		र्ग संदत्त/संदेय	प्र क्रय	प्रतिफल	अधिग्रहण मूल्य	के समय स्ट		ाधिग्रहण अर्जित/दार		म)	अर्जन व	की तारीख	
<u>بن</u>	11	आवेदन की तग	ीख को आवेव	क के कर्मचानि	रेयों की कुल संख	व्या •										
अनुसंधान कर्मचारियों/ सुविधाओं के ब्यौरे	12	उपरोक्त कर्मचा	रियों की कुल		आवेदन की तार्र		ो, वैज्ञानिक,	सामाजिक	या सांख्यिर्व	गेय अनुसंध	ग्रान क्रिया	कलापः	में लगे			
नुसंधान सुविधाः		कर्मचारियों की														
ਲ	13	आवेदन की तार	रीख को अनुसं	धान संगम के	स्वामित्वाधीन	अनुसं	धान सुविधा	ओं/आस्तिय	ों के ब्यौरे :							

7

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

		क्र. स	Τ.	उपस्कर व	का वर्णन			अधिग्रहण की ता	रीख	अधिग्रहण की <i>लागत</i>			
	14	पूर्व ती	न वर्ष के दौरान आरंध	म की गई अनुसंधान	न परियोजनाओं के ब्यौ	रि :							
अनुसंधान परियोजनाओं के ब्यौरे		क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अन्वेषक का नाम	र आवेदक संगठन के साथ अन्वेषकों का सहयोजन	परियोजन अवधि (दि./मा./व (दि./मा./वा	ा र्ष) से	चालू परियोजना की दशा में परियोजना लागत/ अनुमानित परियोजना लागत (रु0)	परियोजना को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास	परियोजना आरंभ करने की तारीख	परियोजना की वर्तमान प्रास्थिति		
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		(vi)	(vii)	(viii)	(ix)		
	15	पूर्व ती	न वर्ष के दौरान किर्स) भी प्रतिष्ठित राष्ट्र	ोय/अंतर्राष्ट्रीय शोध ज	र्नल में प्रकाशि	त शोध ले	 ोखों/पत्रों के ब्यौरे :					
शोध लेखों के व्यौरे		क्र.सं.	प्रकाशन का शीर्षक ★	लेखकों के नाम	आवेदक संगठन के साथ लेखकों का सहयोजन	जर्नल का नाग	() ए ई	नर्नल संदर्भ संख्या पी.आई.एस. रस.एन./ रे.आई.एस. रस.एन./ आई.एस. री.एन.)	जर्नल सूचकांक ब्यौरे	प्रकाशन की तारीख/ मास (जिल्द/ संख्या/वर्ष)	आवेदन की तारीख तक कितनी बार उद्धृत किया गया		
	16		(क) आवेदित/प्रदान (क) आवेदित/प्रदान (क)		जेस्ट्रीकृत पेटेंट, प्रतिर्हि यौरे : आविष्कारक का (आविष्कारकों के) नाम	आवेदक संग साथ आविष्व	ठन के व कारक अ योजन ग	म्या पेटेंट के लिए आवेदन किया ाया है/पेटेंट प्रदान	पेटेंट आवेदन संख्या और	यदि वाणिज्यीकृत या कार्यान्वित किया गया है तो किस के	पेटेंट से आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)		
पेटेंट या वैसे ही अन्य अधिकारों के ब्यौरे		क्र. रच सं. जि प्रति का गय	वेदित/प्रदान किए ग ना का शीर्षक, व सके लिए तेलिप्या-धिकार आवेदन किया ा है/प्रदान किया ा है		क का (लेखकों के)		ं (कों) पि ा 3 ग प्र	धेकार के लिए आवेदन किया ाया है/ गतिलिप्या-धिकार गदान किया गया	आवेदन संख्या और तारीख/ प्रतिलिप्या-धिकार	यदि वाणिज्यीकृत या कार्यान्वित किया गया है तो किस के द्वारा	धिकार से		
		(ग) आ	वेदित/प्रदान किए गए	र व्यापार चिन्ह या	⁻ वैसे ही अन्य अधिका [,]	रों के ब्यौरे :							
मेटेंट -		क्र. व्या सं. वैसे		र्णन आवि	वेष्कारक का विष्कारकों के) नाम	आवेदक संग साथ आविष्व (कों) का सह	कारक वे योजन कि है	, केया गया हे∕व्यापार चिन्ह गदान किया गया	आवेदन संख्या और तारीख⁄	यदि व्यापार चिन्ह वाणिज्यिक रूप से प्रयोग किया गया है तो किस के द्वारा	व्यापार चिन्ह अन्य वैसे ही अधिकारों से आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)		

		(घ)	विकसित किए गए	नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, '	पद्धतियों, तक	नीकों के ब्यौरे :								
		क्र. सं.	<u>प्रवर्ग</u> : नया उत्पाद प्रक्रिया/ पद्धति तकनीक		वर्णन		आविष्कारक (आविष्कारक नाम		साथ		के यदि वाणिज्य क कार्यान्वित गया है तो द्वारा	किया	आवेदन की तक अर्जन (र	
		(ङ)	विद्यमान उत्पादों,	प्रक्रियाओं, पद्धतियों, तक	ज्नीकों में किए	गए सुधारों के ब्यं	ोरे :							
		क्र. सं.	<u>प्रवर्ग</u> ः नया उत्पाद प्रक्रिया/ पद्धति तकनीक		वर्णन		आविष्कारक (आविष्कारक नाम		साथ		के यदि वाणिज्य क कार्यान्वित गया है तो द्वारा	किया	आवेदन की तक अर्जन (र	
	(च) विकसित किए गए नए सिद्धांतों, मॉडल और परिकल्पना के व्यौरे :													
		क्र. सं.	<u>प्रवर्ग</u> : नया उत्पाद प्रक्रिया/ पद्धति तकनीक		वर्णन		लेखक का (ले नाम	।खकों के)		गेखक (कों) व	के क्या ज परिकल्पना रूप से स्वी जाती है	व्यापक	आवेदन की तक अर्जन (र	
		(छ) क. र		के उत्पादों के व्यौरे : उत्पाद का वर्णन						आयात प्रतिग वर्णन	ऱ्यापन किस प्र	कार हुआ	ा के बारे में	संक्षिप्त
यौरे	17	ų	र्वि तीन वर्ष के दौरा	। न संगम द्वारा आयोजित	संगोष्ठियों, सम्	मेलनों, कार्यशाला	ाओं , प्रशिक्षण	पाठ्यक्रम	ों आदि	के ब्यौरे				
सेमिनार, संगोष्ठी आदि के व्यौरे		न्न	प्रशिक्षण पाठ्यः	ाम्मेलन, कार्यशाला, क्रम, आदि का विषय	तारीख (त से	तारीखें) जिस को ब	आयोजित किष तक	र गए		प्राकल्लित आवंटन (र		द्वारा	धान क्षेत्र या किए कलाप तता	संगम गए से
धान गादि	18	3	 गगामी वर्षों के दौरा	ान किए जाने वाले अनुसंध	 धान परियोजन	गाओं के कार्यक्रम ब	का विवरण:							
भविष्य के अनुसंधान परियोजनाओं आदि का विवरण।		_	क्रं.सं.	परियोजनाकानाम		परियोजना के की प्रस्तावित त		परियोज	ना की ः	अवधि	अनुमानित आवंटन	निधि	•	जाने ान का रि
भादि	19	3	गवेदक द्वारा दिए ग	ए शैक्षिक पाठ्यक्रमों का f	वेवरणः									
शैक्षिक गतिविधियों आदि का विवरण।			क्रं.सं.	प्रस्त	ावित पाठ्यक्रम (क)					ावित किए ग गाले छात्रों की (ख)		(ख)में	में से, कुल छा लं	त्र शोध ग गे हुए हैं (ग)
	20	की :	्याग की विवरणी शं	तिम निर्धारण वर्ष के लिग				स समाप	चो गर्ट	÷		हाँ	🔲 नई	τD
संपत्ति और देताएं				ातम निधारण वर्ष काला एण आवेदन की तारीख के					्र गई	ए		δi	म्य गह	
		~ 1'	1491	. ગળામથા મળે સારાપા થયે	-13/11/ 3/419	त्राणाणा ह (२	ात्र सारफम)							

	21	कोर	[22				धन / नि अन्य र्आ		ोष के अलावा	
	23	दीर्घकालिक	देनदारियां		24				अन्य देन	दारियां		
	25	भूमि और भ	वन		26			अन्य अच	वल आस्ति	यां		
	27	धारा 11 की	उपधारा (5) में f									
	28	अन्य आस्तिर	यां									
	29	पूर्ववर्ती वर्ष	के ठीक पूर्व के पिइ	छले तीन वर्ष में प्रा	प्त आय जिसमें ब	आवेदन कि	ज्या गया है:					
ㅋ							न्य उद्देश्यों के लिए	अन्य अ	ाय	संपूर्ण		
विवर			दान		ु प्राप्त दान मिल्			अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अनुदान प्राप्त			आय	
आय का विवरण								किया				
জ			समग्र निधि	गैर समग्र	समग्र निधि		गैर समग्र निधि					
				निधि								
	30	कृपया पूर्ववत	र्गी वर्ष के ठीक पूर्व	तसमें आवेदन किया गया हो								
F		क्र.सं.	पिछले वर्ष	वैज्ञानिक /	सामाजिक	गैर-अनु	संधान गतिविधियों	कुल आवेदन	संगम	गकी वस्तु	गुओं के लिए	
व्यय विवरण				विज्ञान /	सांख्यिकी	के लिए	अनुप्रयुक्त रकम		संचि	त रकम		
व्यय ।				अनुसंधान के लि	ए अनुप्रयुक्त							
				रकम								

मैं_____, पुत्र/ पुत्री_____, इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार फ़ॉर्म में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।

मैं न्यास/ समाज / गैर लाभ कंपनी की शर्तों में किसी भी परिवर्तन के साथ, या संस्थान को संचालित करने वाले नियमों में, बाद में किसी भी समय यहां संचार करने का कार्य करता/करती हूं। मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस फॉर्म को _____ (पदनाम) के रूप में स्थायी खाता संख्या (पैन) ______ के रूप में दाखिल कर रहा/रही हूं और मैं इस फॉर्म को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

हस्ताक्षर

11

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष शोध संगम द्वारा धारा 10 (21) के अधीन छूट का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना। _____

	1.	धारा11 (5) के अधीन विहित नहीं किए गए निवेश के प्रकार										
		निवेश की प्रकृति निवेश की रकम (आवेदन की तारीख के अनुसार) निवेश की निवेश का नामांकित पिछले वर्ष के दौरान निवेश का नामांकित निवेश से आय										
	2.	धारा 13 (3) में निर्दिष्ट संगम में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेश का विवरण रुपये में निवेश का अंकित मूल्य प्रदान करें।										
		व्यक्ति अंश (रु.) प्रतिभूति (रु.) कोई अन्य संपत्ति (रु.)										
लाभ	3.	आय का कोई भी हिस्सा या संगम की किसी भी संपत्ति का उपयोग या लागू किया गया था, एक तरीके से जिसके परिणामस्वरूप किसी भी इच्छुक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी लाभ, सुविधा या अनुलाभ (चाहे वह पैसे में परिवर्तित हो या न हो) को प्रदान करता है। हाँ 🔲										
इच्छुक व्यक्ति को लाभ	4.	यदि हाँ, तो उपर्युक्त रुपये में लाभ का मूल्य निर्दिष्ट करें ।										
समझी गई आय ^{हुई}	5.	धारा 11 (3) के आधार पर संगम की आय मानी जाने वाली रकम, जो धारा 10 (21) के पहले परंतुक के अनुसार लागू होती है।										

प्रमाणित है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

जगह	हस्ताक्षर
तारीख	पदनाम
पूरा पता	
फार्म 3 गच भरने के निर्देश	

- 1. आवेदक के डेटाबेस के अनुसार नाम, पता और संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- 2. पंक्ति 2 में निम्नलिखित कोड प्रदान किए जाएंगे:

संगठन की प्रकृति	कोड
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (ii) के अधीन अनुसंधान संगम	1
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (ii) के अधीन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य	2
संस्थान	
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (iii) के अधीन अनुसंधान संगम	3
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (iii) के अधीन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य	4
संस्थान	
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (iiक) के अधीन कंपनी	5

- 3. पंक्ति संख्या 3 (ख), 3 (ग) और 3 (घ) को केवल तभी भरना होगा जब पंक्ति संख्या 3 (क)में प्रश्न का उत्तर हां में हो।
- 4. पंक्ति संख्या 4 में प्रश्न का उत्तर हां में होना चाहिए, यदि आवेदक आयकर अधिनियम के अधीन या दर्पण पोर्टल के साथ या एफसीआरए 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। उत्तर देने के लिए पंक्ति संख्या 4 (क) से 4 (ङ) को भरना आवश्यक है यदि पंक्ति 4 में प्रश्न का उत्तर हां है। पंक्ति संख्या 3 (ख), (ग) और (घ) में शामिल निर्गमन / निर्माण / पंजीकरण विवरण यहां प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करना या प्राप्त करना चाहता है तो नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण और निम्नलिखित सारणी के अनुसार एफसीआरए 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण विवरण प्रदा न की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम के अधीन राजि आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण और निम्नलिखित सारणी के अनुसार एफसीआरए 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण विवरण प्रदान किया जाना चाहिए और:

विधि	आज्ञापक/ गैर- आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण की तारीख क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाले प्राधिकरण	तारीख जिसमें से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क/कक/कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण	आज्ञापक, यदि रजिस्ट्रीकरण हो	रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाले आदेश को संख्या प्रदान की जाए	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विवरण जो रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करता है, अनुदत्त किया जाए	पिछले वर्ष की पहली तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अधीन अनुमोदन	आज्ञापक, यदि अनुमोदित हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की संख्या प्रदान की जानी है	अनुमोदन की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विवरण जो रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करता है, अनुदत्त किया जाए	पिछले वर्ष की पहली तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
डीएसआईआर द्वारा एक वैज्ञानिक और औद्योगिकअनुसं धान संगठन के रूप में अनुमोदित	आज्ञापक, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की संख्या प्रदान की जानी है	अनुमोदन की तारीख	डीएसआईआर	पिछले वर्ष की पहली तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकृत	आज्ञापक, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	पिछले वर्ष की पहली तारीख जिससे अधिसूचना प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	आज्ञापक यदि एफसीआरए के अधीन रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	आदेश की तारीख	गृहमंत्रालय	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी है
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल की रजिस्ट्रीकरण संख्या	आज्ञापक यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करना या प्राप्त करना चाहता है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी है
अन्य	आज्ञापक यदि आवेदक का आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	समुचित प्राधिकारी	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो

- 5. पंक्ति संख्या 6ए स्तंभ 6क "संबंध" के लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा:
 - क. लेखक
 - ख. संस्थापक
 - ग. व्यवस्थापक
 - घ. न्यासी
 - ङ. सोसाइटी के सदस्य
 - च. शासी परिषद के सदस्य
 - छ. निदेशक
 - ज. 5% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक
 - झ. शासी परिषद के सदस्य
 - ञ. पदाधिकारी
- 6. पंक्ति 6क, 6ख और 7 में स्तंभ में, विशिष्ट पहचान संख्या, निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:
 - क. यदि पैन या आधार नंबर उपलब्ध है. तो उसे आज्ञापक रूप से भरा होना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरना होगा:

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

ख. यदि पैन या आधार उपलब्ध नहीं है, तो निम्न में से एक भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
करदाता पहचान देश की संख्या जहां व्यक्ति निवास करता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

- 7. पंक्ति 13 कोड 1, 3 और 5 पंक्ति में 2 के लिए लागू है। लिखत के विवरण के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन किया जाना चाहिए:
 - i. संयंत्र व मशीनरी
 - ii. भूमि और भवन
 - iii. अन्य आस्तियां

8. पंक्ति 14, 15 और 16(क), 16 (ख), 16 (ग), 16 (घ), 16 (ड), में आवेदक संगठन के साथ सहयोग के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन किया जाना चाहिए:

- i. प्रधान अधिकारी
- ii. निदेशक
- iii. कर्मचारी
- iv. शासी परिषद के सदस्य
- v. पदाधिकारी
- vi. अन्य

9. परियोजना की वर्तमान स्थिति के लिए पंक्ति 14 में, निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना चाहिए:

i. चल रही है ii. पूर्ण

10. पंक्ति 15 में केवल मूल शोध लेखों का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। विषय अध्ययन / समीक्षा / संपादकीय / संपादक को पत्र को प्रस्तुत किए जाने का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना है ।

11. कोड 2 या कोड 4 को पंक्ति 2 में चुने जाने पर पंक्ति 19 को भरा जाना है ।

12. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित है:

- जहां आवेदक को एक लिखत के अंतर्गत गठित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
- जहाँ आवेदक का गठन एक लिखत के अधीन से अन्यथा किया जाता है, आवेदक की रचना, या स्थापना के दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति:
- यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार या अन्य रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
- जहां धारा 35 के अधीन पिछला रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत कर दिया गया है, तो अस्वीकरण के आदेश की प्रति (यदि 5 का उत्तर हां है)
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
- धारा 35 के अधीन अनुमोदन देने वाली विद्यमानअधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
- आवेदक की अनुसंधान गतिविधियों पर एक व्यापक टिप्पण
- पिछले तीन वर्षों के लिए आवेदक के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रति
- पिछले तीन वर्षों के दौरान संदाता की स्व-प्रमाणित प्रति, उनके नाम, पूरा डाक पता और उनमें से प्रत्येक द्वारा आवेदक भुगतान की गई रकम । तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक रकम का भुगतान करने वाले दानदाताओं के पैन या आधार का उल्लेख करें
- आवेदक द्वारा किए गए अनुसंधान गतिविधियों पर टिप्पण

छ्ठट का दावा करने के मामले में उपाबंध भरने के निर्देश 10 (21)

- 1. पंक्ति 2 में व्यकतिक रूप से निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना चाहिए:
 - क. आवेदक को संस्थापक
 - ख. कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदक के लिए एक लाख रुपये से अधिक का अभिदाय है
 - ग. हिंदू अविभक्त कुटुम्ब संयुक्त परिवार (एचयूएफ) का कोई भी सदस्य जहां एचयूएफ संस्थापक है
 - घ. आवेदक का प्रबंधक (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो)
 - ङ. संस्थापक के एक संबंधी, प्रबंधक के सदस्य
 - च. कोई समुत्थान जिसमें, क से ङ तक निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का सारवान हित है ।
- 2. पंक्ति 4 में यदि कोई लाभ निर्दिष्ट किया गया है, तो लाभ, सुख सुविधा या परिलब्धि की प्रकृति का विस्तृत विवरण प्रदान करें।";

(ii) प्ररूप सं. 10 क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"आयकर नियम, 1962 -

फार्म सं. 10 क

(नियम **17**क / 11कक / **2**ग / **5**गक देखें)

पंजीकरण या अनंतिम पंजीकरण या सूचना के लिए आवेदन

	1	पैन		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	
	2	अनुभाग कोड											
	3	गतिविधियों की प्रकृति		धर्मार्थ	2	þ] धार्मिव	Б	🗋 धारि	र्नेक सह	धर्मार्थ	Ģ	3
	4	संविधान का प्रकार		न्यास	Φ	सोस	ायटी	🗇 कंप	नी [3	अन्य [<u>}</u>	
	4क	क्या आवेदक एक लिखत के अंतर्गत स्थापित किया गया है?		हाँ	Ę	3			नह	ीं	þ		
	4 ख	निर्गमन / निर्माण / पंजीकरण की तिथि											
रण	4 ग	पंजीकरण या निर्गमन संख्या											
ान विव	4 घ	प्राधिकरण अनुदान पंजीकरण / निगमन											
' संविध	5	आवेदक की वस्तुएँ											
निगमन / संविधान विवरण	6	क्या न्यास विलेख में प्रावधान अपरिवर्तनीय है?		हाँ				₫	नह	Î		þ	
	7	क्या आवेदक दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत है या एफसीआरए अधिनियम के अंतर्गत या आयकर अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत?		हाँ				₽	नह	ी़		þ	
	7 क	प्रासंगिक कानून / पोर्टल											
	7 ख	पंजीकरण क्रमांक।											
अन्य पंजीकरण	7 ग	पंजीकरण की तिथि											
अन्य पं	7 घ	पंजीकरण कराने वाले प्राधिकरण											
	7 ड.	तारीख जिससे पंजीकरण प्रवृत्त है											
	8 क	क्या आवेदक द्वारा पूर्व में किए गए पंजीकरण के किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है?		हाँ				▣	नह	Îİ		þ	
	8 ख	क्या धारा 10 आयकर अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत छूट का दावा करना है		हाँ				₫	नह	ीं		₫	
	9 क	सभी लेखक(कों) /संस्थापक(कों)/न्यासी(न्यास)/सोसाइटी के स			ी परि	ष्द के	सदस्य	/ निदेशय	क(एस) /	शेयर ह	होल्डिंग के	5% या	अधिक
		शेयरधारक /पदाधिकारी (ओं) का विवरण आवेदन की तिथि के 	-										
प्रमुख व्यक्तियों का विवरण		क्रम नाम संबंध शेयरधारक के सं. मामले में हिस्सेदारी का प्रतिशत	آ	वेशिष्ट संख		न	आईडी कोड		पता	मो नंब	बाइल र	ईमेल पत	т
त्तियों													
मुख व्य	9 ख	यदि कोई व्यक्ति (जैसा कि पंक्ति 9क में उल्लिखित है) कोई व्यगि						ब पर वा	स्तविक व	यक्तियों	जो आवेद	न की तार्र	ोख पर
ж		ऐसे व्यक्ति के हिताधिकारी स्वामी (5% या अधिक) हैं, के निम्न क्रम सं. नाम विशिष्ट पहचान संख्या		खत ब्य आईडी		1	: ाता	f	हेताधिक	ारी स्वा	मित्व का प्र	ातिशत	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

हस्ताक्षर

	10	क्या आय की है, फाइल की	विवरणी पिछले या [.] गई है	पूर्व निर्धारण	ग वर्ष जिसके लिए	ु नियत ता	रीख समाप्त हो चु	बुकी	हाँ 🗖	नही		
		आवेदन की ता	रीख पर पंक्ति 11 से	19 के ब्यौरे	रे प्रदान किया जान	ा है (रकम	रुपये में) :					
	11	कोरपस					12		कोरपस से ि	भेन्न निधिः	यां /आरक्षि	ते और अधिशेष
संपत्ति और दायित्व	13	दीर्घकालिक द	ायित्व				14		अन्य दायित्	व		
संपत्ति ३	15	भूमि और भव	न				16		अन्य स्थिर [ः]	आस्तियां		
	17	धारा 11 की	उपधारा (5) में वि	नेर्दिष्ट एक	या अधिक प्ररूपों	या ढंगों में	े किए गए विनिध	धान/नि	क्षिप	[
	18	उपरोक्त पंक्ति	संख्या 17 में उल्लि	ाखित से भि	भेन्न विनिधान/नि	क्षेप						
	19) अन्य आस्तियां										
	20	पूर्व वर्ष जिस	में आवेदन किया गय	ा है, के अव	त्र्यवहित पूर्ववर्ती	तीन पूर्व व	र्षों में प्राप्त आयः	:				
आय के ब्यौरे		वर्ष दे	केंद्रीय या राज्य सरव प्राप्त अनुदान	~	कारपोरेट सामा अधीन कंपनियो	जिक उत्तर	दायित्व के		विनिर्दिष्ट प्तन	अन्	य आय	कुल
कलाप	21 क	क्या निधि या	। संस्था ने धार्मिक प्रव	कृति का को	ई व्यय अपगत कि	या है			हाँ 🗖	नहीं	þ	
क्रिया	21	यदि हाँ, तो कृ	पया पूर्व वर्ष जिसमें	आवेदन वि	केया गया है, के अ				गं प्राप्त आय			
धार्मिक क्रियाकलाप	ख	क्र.सं.	पूर्व वर्ष	कुल आय		មា	र्मिक प्रकृति का व्र	यय		कुल आय	का प्रतिशत]

, यह घोषणा करता/करती हुं कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार फ़ॉर्म में दिए गए ब्यौरे मैं __, का पुत्र/ पुत्री _

सही और सही हैं।

मैं न्यास / सोसायटी / अलाभकारी कंपनी की निबंधनों या संस्था को शासित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन किए जाने के पश्चात् तत्काल संसूचित करने का वचन देता हूं । मैं यह और यह घोषणा करता हूं कि मैं ------ (पदनाम) की क्षमता में इस प्ररूप को भर रहा हूं, मेरा स्थायी खाता संख्या (पेन) -----है और मैं इस प्ररूप को फाइल करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

दिनांक

फार्म 10क के लिए निर्देश

- 1. आवेदक के डेटाबेस के अनुसार नाम, पता और संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- 2. धारा 12क /धारा 80छ/ धारा 10(23ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में पंक्ति 2 में निम्नलिखित एक का चयन करें ।

1	धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (कग) का उप खंड (i)	01
2	धारा 12क की उपधारा (1) के उपखंड (कग) का उप खंड (vi)	02
3	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (iv) समाविष्ट आवेदकों के लिए	03
4	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (v) समाविष्ट आवेदकों के लिए	04
5	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (vi) समाविष्ट आवेदकों के लिए	05
6	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (viक) समाविष्ट आवेदकों के लिए	06
7	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (iv) समाविष्ट आवेदकों के लिए	07

16

भारत का राजपत्र : असाधारण

8	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (v) समाविष्ट आवेदकों के लिए	08
9	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (vi) समाविष्ट आवेदकों के लिए	09
10	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (viक) समाविष्ट आवेदकों के लिए	10
11	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (i)	11
12	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (iv)	12

धारा 35 की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक के अधीन सूचना के लिए आवेदन, पंक्ति 2 में निम्नलिखित में से एक कोड का चयन करें:

क्र.सं.	प्रवर्ग	ध	धारा 35 की उपधारा (1) के सुसंगत खंड	
		खंड (ii)	वैज्ञानिक अनुसंधान	13
1	अनुसंधान संगम		सामाजिक विज्ञान अनुसंधान	14
		खंड (iii)	सांख्यिकीय अनुसंधान	15
		खंड (ii)	वैज्ञानिक अनुसंधान	16
2	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	खंड (iii)	सामाजिक विज्ञान अनुसंधान	17
		93 (m)	सांख्यिकीय अनुसंधान	18
3	कंपनी	खण्ड (iiक)	वैज्ञानिक अनुसंधान	19

3. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 11 या 12 का चयन करता है तो पंक्ति 3 (क्रियाकलापों की प्रकृति) में "धार्मिक" विकल्प लागू नहीं होगा।

4. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 13-19 का चयन करता है तो पंक्ति 3 (क्रियाकलापों की प्रकृति) और पंक्ति 5 (उद्देश्यों) को नहीं भरा जाएगा।

- 5. पंक्ति संख्या 4 (ख), 4 (ग) और 4 (घ) को केवल तभी भरना होगा जब पंक्ति संख्या 4 (क) में प्रश्न का उत्तर हां में हो।
- 6. पंक्ति संख्या 5 में "आवेदक के उद्देश्य" के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का चयन किया जाना है:

(i)	धार्मिक
(ii)	निर्धनों को राहत
(iii)	शिक्षा
(iv)	चिकित्सा अनुतोष
(v)	योग
(vi)	पर्यावरण संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्य जीव सहित)
(vii)	स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं का संरक्षण
(viii)	साधारण लोक उपयोगिता की किन्हीं वस्तुओं की उन्नति

7. पंक्ति संख्या 7 में प्रश्न का उत्तर हाँ होना चाहिए, यदि आवेदक दर्पण पोर्टल या एफसीआरए 2010 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है। पंक्ति संख्या 7 (क) से 7 (ड) को भरने की आवश्यकता है, यदि पंक्ति संख्या 7 के प्रश्न का उत्तर हां है। पंक्ति संख्या 4 (ख), (ग) और (घ) में उपबंधित निगमन /सृजन / रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे यहां उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए। यदि आवेदक या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करना चाहता है तो नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदक द्वारा आज्ञापक रूप से प्रदान की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे प्रदान किए जाने चाहिए आयेद करा चाहता है तो नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदक द्वारा आज्ञापक रूप से प्रदान की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे प्रदान किए जाने चाहिए और दर्पण पोर्टल तथा एफसीआरए 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार होना चाहिए :

सुसंगत विधि / पोर्टल	समर्थ होना, जब पंक्ति 2 में निम्नलिखित कोड चुने जाएं	आज्ञापक / अनाज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण संख्या।	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	तारीख जिस तारीख से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 कीधारा 10(23)ग के खंड (iv)/(v)/(vi)/(viक) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	03 या 04 या 05 या 06	आज्ञापक	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की संख्या	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के ब्यौरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	01-19	आज्ञापक, यदि धारा 10 (46) के अधीन अधिसूचित किया जाता है	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	वह तारीख जिससे ऐसी अधिसूचना प्रभावी होगी

17

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क/12कक/12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण	01	आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की संख्या उपबंधित की जानी चाहिए		आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के व्यौरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण	13-19	आज्ञापक	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	की तारीख	केंद्रीय सरकार	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण	11	आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की संख्या	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के व्यौरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	वह तारीख जिससे इस तरह का रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	01-19	आज्ञापक यदि एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	तारीख	गृह मंत्रालय	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या	01-19	यदि आवेदक या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करना चाहता है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो
अन्य	01-19	आज्ञापक यदि आवेदक का आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	समुचित प्राधिकारी	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो

- 8. पंक्ति संख्या 9क के स्तंभ "संबंध" के लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा:
 - क. लेखक
 - ख. संस्थापक
 - ग. विन्यासक
 - घ. न्यासी
 - ङ. समाज के सदस्य
 - च. शासी परिषद के सदस्य
 - छ. निदेशक
 - ज. शेयरधारिता में 1% या अधिक धृति वाले शेयरधारक
 - झ. पदाधिकारी
- 9. पंक्ति 9 क और 9 ख के स्तंभ में, विशिष्ट पहचान संख्या, निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

क. यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है, तो आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाएगा:

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

ख. यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो निम्न में से एक भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
उस देश की करदाता पहचान संख्या जहां वह व्यक्ति निवास	3
करता है;	
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक फोटो पहचान संख्या	5
ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

- 10. पंक्ति संख्या 11 से 20 का भरा जाना अपेक्षित होगा यदि:
 - (क) यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 02 या 07 या 08 या 09 या 10 या 12 का चयन करता है; या
 - (ख) यदि आवेदक कोड 01, 03 या 04 या 05 या 06 या 11 का चयन करता है और पंक्ति 10 में विकल्प "नहीं" चुना जाता है।
- 11. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 12 का चयन करता है तो पंक्ति संख्या 21क और 21ख को भरना होगा ।
- 12. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाना अपेक्षित है:

अनुभाग कोड	संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज
01	 जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	 जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	 यथास्थिति कंपनि के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	 यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति।
	 जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते
	बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।
02	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	 जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	 यथास्थिति कंपनि के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	• जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।
	 जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार कारबार किया जाता है और आवेदक वित्तीय वर्ष जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित ऐसे कारबार करने के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां और प्रति ऐसी अवधि के लिए धारा 44 कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति ;
	• यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व- प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

03/04/05/06	 जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों
	की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• यथास्थिति कंपनि के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित
	प्रति;
	 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	 आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति।
	 जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।
07/08/09/10	 जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• यथास्थिति कंपनि के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	• जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां
	 धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;
11	 जहां आवेदक निर्मित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• जहां आवेदक निर्मित किया गया है, या स्थापित किया गया है, एक लिखत के अंतर्गत, आवेदक के निर्माण, या स्थापना के दस्तावेज की
	स्व-प्रमाणित प्रति;
	• कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो;
	• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत है;
	 आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति।
	• जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।
12	• जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले
	दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• यथास्थिति कंपनि के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	 जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिसके लिए ऐसे खाते वर्त्ताप गए हैं, से संवंधित आवेदक के वर्षीक खानों की स्व प्राप्तिय प्रवियां।
	बनाए गए हैं, से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां । • आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;
1	

13-19	 जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
	 जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• यथास्थिति कंपनि के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
	• विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
	 धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।

(iii) प्ररूप 10कक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

	1	पैन									
	2	अनुभाग कोड									
	3	क्रियाकलाप की प्रकृति	पूर्त		۽ 🗇	पार्मिक	þ	धार्मिक स	ह पूर्त		þ
निगमन / गठन के ब्यौरे	4	गठन का प्रकार	न्यास	þ	सोसाइ	री 🖸	कंपनी	₫	अन्य	þ	
ाठन के	4क	क्या आवेदक लिखत के अधीन स्थापित किया गया है?	हाँ	▣		नह	Ť 🖸				
मन / ग	4ख	निगमन /सृजन / रजिस्ट्रीकरण की तारीख									
निग	4ग	रजिस्ट्रीकरण या निगमन संख्या									
	4घ	रजिस्ट्रीकरण / निगमन प्रदान करने वाला प्राधिकरण									
	5	आवेदक के उद्देश्य									
	6	क्या न्यास विलेख में यह खंड अंतर्विष्ट है कि न्यास अप्रतिसंहरणीय है?	हाँ				Ð	नही	1		þ
	7	क्या आवेदक दर्पण पोर्टल पर या एफसीआरए अधिनियम के अधीन या आयकर अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	हाँ				Ð	नही	1		Ð
	7 क	सुसंगत विधि / पोर्टल									
व	7 ख	रजिस्ट्रीकरण संख्या।									
अन्य रजिस्ट्रीकरण	7 ग	रजिस्ट्रीकरण की तारीख									
य रजि	7 घ	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी									
<u>ल</u> ल	7 ड	तारीख जिसमें से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है									
	8 क	क्या आवेदक द्वारा पूर्व में किए गए रजिस्ट्रीकरण के किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है?	हाँ					नही	<u>.</u>		þ
	8 ख	क्या धारा 10 आयकर अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत छूट का दावा करता है	हाँ				₫	नही			þ

प्ररूप सं. 10कख (नियम 2ग या 11कक या 17क देखें) रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

वेतरण	<u>9</u> क				<i>(</i> कों <i>) /</i> संस्थापक । शेयरधारक /पद			⁄ सोसा	इटी के सद	सदस्य ∕शासी परिषद		के सदस्य	/निदेशक	ि(कों) ∕ शेयर	
प्रमुख व्यक्तियों का विवरण		क्रम सं.	नाम	नातेदा	माग हिस्से	धारक के नले में दारी का तेशत	विशिष्ट पहच संख्या	ान	आईडी कोड			मोबाइ नंबर		मेल पता	
μ.															
	<u>9</u> ख	गनि (मंचि	० च में मथा	र किस किस	व्यक्तियों में से क	र्ग्त सामित	म साणि ननीं नै	<u></u>	क्रिक जा	चिन्नों के		्र जिल्लीने -		ों जो आनेनज	
विवरण		•			व्याक्तया म स क ग्राही स्वामी (5 <i>%</i>	-		ואוס	ाका क	किया क	লিঙ্গালাভ	त व्यार उ	ગ્યળ ચ્વ મ	र जा आवदन	
प्रमुख व्यक्तियों का विवरण		क्रम सं.	नाम	विशिष्ट पह	्चान संख्या	आईडी को	ड	पत	π			फायदाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत			
प्रमुख व															
	10				शासित/स्वामित्व	वाले	क्रियाकलाप 	ा की	पता	क्या अ				भारी व्यक्ति	
					य/अस्पताल/योग । संस्थान के ब्यौरे		प्रकृति			के स्वामित्व में है ? (हां/नहीं)		नाम	संपर्क सं.	ई-मेल आईडी	
	11	यदि आवेदक के पास धारा 11(4) के अर्थ में "न्यास के अधीन संपत्ति" के रूप में कारबार करने का उपक्रम है तो निम्ना										निम्नलिखि	।त ब्यौरे र	उपलब्ध करें	
		कारबार की प्रकृति कारबार का पता								क्या पृ	थिक लेखा	। बहियां र	खी हैं?		
										हां/नई	<u>Ĵ</u> İ				
	12	यदि आवेदक के पास कारबार के लाभ और अभिलाभ की प्रकृति में कोई आय है, तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें													
	12	यदि आवेद	क के पास व	कारबार के ल् 	ाभ और अभिला	भ की प्रकृति	ो में कोई आय ।	है, तो	निम्नलिखि	वत ब्यौरे	उपलब्ध 	करें			
		क्या न्या प्रासंगिक		के उद्देश्यों	की प्राप्ति के लिए	ए कारबार	कारबार प्रकृति	की	कारबार पता	का	क्या पृथ	थक लेखा [ः]	क लेखा बहियां रखी हैं?		
न ब्यौरे		हां/नहीं									हां/नहीं	:			
परिचालन ब्यौरे	13				ी या सहकारी बै 1949 का 10) ल										
		क्रम सं.		वित्तीय	। संस्थान का आई	ईएफएस को	ड		विग	तीय संस्थ	गन का न	ाम	खात	ा संख्या	
	14	आवेदक द्वा	रा धारित स	तभी भूमि य	ा भवन या दोनों	के ब्यौरे ा									
		भूमि या	भवनों का प		वर्गमीटर में भूमि या भवनों का आकार	क्रय प्रति संदत्त/ सं			के समय 1 मूल्य	(3	ार्जन का म अर्जित/उप ाप्त)		अर्ज तार्र	न की ोख	
	15		ग लोक उपयं खेत ब्यौरे उ		केसी अन्य उद्देश्य	के उन्नयन" [:]	के मामले में, प	ार्व वर्ष	र्ग के ठीक प्	र्षवर्ती व	ार्ष जिसमें	आवेदन	किया गया	, के संबंध में	
		(i) क्य	ा इसमें व्या	पार, वाणिज	त्य या कारबार क						ार, वाणि	ज्य या का	रबार के न	संबंध में कोई	
		सेव	ा उपलब्ध व	कराने के लि	ए कोई उपकर य	ा शुल्क या व	कोई अन्य प्रति	कल अं	तर्वलित है	?			हां/	नहीं	

		(ii) क्या यह क्रियाकला हां/नहीं (iii) ऐसे क्रियाकलाप से		पोगिता के किस <u>ी</u>	अन्य उद्देश्य के किसी ां	ऐसे उन्नयन को करने	ने के वास्त	विक रूप में वि	क्या गया है ;	
		क्रम सं. कुल प्राप्तियां	उपरोक्त संदर्भित प्राप्तियां	त क्रियाकलाप (क्रेयाकलापों) से कुल	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत		टिप्पणियां, हों	यदि कोई	
	16	क्या पिछले निर्धारण वर्ष, रि	जेसकी देय तारीख सम	ाप्त हो चुकी है, वे	लिए आयकर विवरणी	भरी है		हां 🗖	नहीं 🗖	
		आवेदन की तारीख को पंक्ति	17 से पंक्ति 25 में ब्यौं	रे उपलब्ध कराए	जाएँ (रकम रुपए में) :		I			
	17	कोरपस			ा से भिन्न अन्य निधि/ ती और अधिशेष					
नयां	19	दीर्घकालिक देनदारियां		20 ^{अन्य रे}	नदारियां					
आस्तियां	21	भूमि और भवन	भवन 22 अन्य अचल आस्तियां							
	23	धारा 11 की उपधारा (5)	। में विनिर्दिष्ट एक या ३	। अधिक प्ररूप या	पद्धतियों में किए गए ि	वेनिधान या निक्षेप]
	24	उपरोक्त पंक्ति संख्यांक 17	में उल्लिखित से भिन्न	अन्य			वि	नेधान/निक्षेप		
	25	अन्य आस्तियां								
आय के ब्यौरे	26	पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती ती वर्ष केंद्रीय या राज प्राप्त अनुदान	य सरकार से कॉ		क उत्तरदायित्व के	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	અ	न्य आय	कुल	
लाप	27 क	क्या संस्थान या निधि ने को	ई धार्मिक प्रकृति का व्य	यय उपगत किया	है	- -	हां	🗋 नह	ți 🖸	
क्रेयाक	27	यदि हां, तो पूर्व वर्ष के ठीक	पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों	के निम्नलिखित			-			_
धार्मिक क्रियाकलाप	ख	क्रम पूर्व वर्ष सं.	कुल आय		धार्मिक प्रकृति का	व्यय	कुल आय	। का प्रतिशत		
धा										1

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूं कि प्ररूप में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं ।

मैं न्यास या सोसाइटी या गैर-लाभकारी कंपनी की किन्हीं निबंधनों में या संस्था को शासित करने वाले नियमों में इसके पश्चात् किसी समय कोई परिवर्तन होने पर संसूचित करने का वचन देता हूँ । मैं यह और घोषणा करता हूँ यह आवेदन......(पद) की क्षमता में कर रहा हूँ और मेरा स्थायी खाता संख्यांक......है तथा मैं यह आवेदन करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ ।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्ररूप 10कख भरने के लिए अनुदेश

1. आवेदक के डेटाबेस के अनुसार नाम, पता और संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

2. पंक्ति सं. 2 में निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना चाहिए :

1	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (i)	01
2	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (iii)	02

3	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (iv)	03
4	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (v)	04
5	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	05
6	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (ν) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	06
7	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	07
8	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (viक) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	08
9	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	09
10	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	10
11	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	11
12	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (viक) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	12
13	धारा 80छ की उप-धारा (5) के लिए पहले परंतुक का खंड (ii)	13
14	धारा 80छ की उप-धारा (5) के लिए पहले परंतुक का खंड (iii)	14

3. यदि आवेदक पंक्ति 2 में, कोड 13 या कोड 14 का चयन करता है तब पंक्ति 3 में "धार्मिक" विकल्प (क्रियाकलापों की प्रकृति) में लागू नहीं होगा ।

- 4. पंक्ति संख्यांक 4(ख), 4(ग) और 4(घ) को केवल तभी भरा जाना आवश्यक है जब पंक्ति संख्या 4(क) में प्रश्न का उत्तर हां में हो ।
- 5. पंक्ति संख्या 5 में, "आवेदक के उद्देश्य" के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का चयन किया जाए :
 - (i) ^{धार्मिक}
 - (ii) निर्धनों को राहत
 - (iii) शिक्षा
 - (iv) चिकित्सीय राहत
 - (v) ^{योग}
 - (vi) पर्यावरण संरक्षण (जिसमें जलसंभर, वन और वन्य जीव भी हैं)
 - (vii) स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक हित की वस्तुओं का संरक्षण
 - (viii) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का उन्नयन
- 6. पंक्ति संख्यांक 7 में प्रश्न का उत्तर हां होना चाहिए, यदि आवेदक आयकर अधिनियम या दर्पण पोर्टल या एफसीआरए, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। पंक्ति संख्यांक 7(क) से पंक्ति संख्यांक 7(ज) भरी जानी अपेक्षित है, यदि पंक्ति संख्यांक 7 में प्रश्न का उत्तर हां हो। पंक्ति संख्यांक 4(ख), पंक्ति संख्यांक 4(घ) में उपलब्ध व्यौरे निगमित/सृजित/रजिस्ट्रीकृत यहां उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या करता है या करने का आशय रखता है, तब नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरल संख्यांक अश्वीन रजिस्ट्रीकृत है। पंक्ति करने का आशय रखता है, तब नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक आवेदक द्वारा आज्ञापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण व्यौरे आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में और दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण और एफसीआरए, 2010 के अधीन निम्न सारणी के अनुसार उपलब्ध कराए जाएं:

सुसंगत विधि/पोर्टल	आज्ञापक/गैर-आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रेशन प्रदान करने वाला प्राधिकरण	तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा	आज्ञापक, यदि उक्ति के	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश का संख्यांक	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की अधिकारिता के ब्यौरे	पूर्व वर्ष की पहली तारीख जिससे
1961 की धारा 10(23ग) के खंड	रजिस्ट्रीकृत है	वाल आदश का संख्याक		आधकारिता क ब्यार उपलब्ध कराए जाएं	ताराख ाजसस अनुमोदन प्रभावी
(iv)/(v)/(vi)/(viक) के				जिसने रजिस्ट्रीकरण	है
अधीन रजिस्ट्रीकरण				प्रदान किया है	
आयकर अधिनियम,	आज्ञापक, यदि धारा	केंद्रीय सरकार द्वारा	अधिसूचना की	केंद्रीय सरकार	वह तारीख जिससे
1961 की धारा	10(46) के अधीन	अधिसूचना की संख्या	तारीख		ऐसी अधिसूचना
10(46) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	अधिसूचित है				प्रभावी है
आयकर अधिनियम,	अनिवार्य, यदि	अनुमोदन प्रदान करने	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की	पूर्व वर्ष की पहली
1961 की धारा	रजिस्ट्रीकृत हो	वाले रजिस्ट्रीकरण आदेश		अधिकारिता के ब्यौरे	तारीख जिससे
12क/कक/कख के	-	संख्यांक उपलब्ध कराए		उपलब्ध कराए जाएं	रजिस्ट्रीकरण
अधीन रजिस्ट्रीकरण		जाएं		जिसने रजिस्ट्रीकरण	प्रभावी है
				प्रदान किया है	
आयकर अधिनियम,	अनिवार्य, यदि	केंद्रीय सरकार द्वारा	अधिसूचना की	केंद्रीय सरकार	पूर्व वर्ष की पहली
1961 की धारा 35 के	रजिस्ट्रीकृत हो	अधिसूचना की संख्या	तारीख		तारीख जिससे
अधीन रजिस्ट्रीकरण					अनुमोदन प्रभावी है

आयकर अधिनियम,	अनिवार्य, यदि	अनुमोदन प्रदान करने	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की	तारीख, जिससे
1961 की धारा 80छ	रजिस्ट्रीकृत हो	वाले रजिस्ट्रीकरण आदेश		अधिकारिता के ब्यौरे	रजिस्ट्रीकरण
के अधीन		का संख्यांक		उपलब्ध कराए जाएं	प्रभावी है
रजिस्ट्रीकरण				जिसने रजिस्ट्रीकरण	
				प्रदान किया है	
एफसीआरए, 2010	अनिवार्य, यदि	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	आदेश की तारीख	गृह मंत्रालय	तारीख, जिससे
	एफसीआरए के अधीन	उपलब्ध कराया जाए			अनुमोदन प्रभावी है
	रजिस्ट्रीकृत है				-
नीति आयोग के दर्पण	आज्ञापक, यदि आवेदक	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	रजिस्ट्रीकरण की	नीति आयोग	वह तारीख जिससे
पोर्टल के साथ	केंद्रीय सरकार या राज्य	उपलब्ध कराया जाए	तारीख		ऐसा अनुमोदन
रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	सरकार से कोई अनुदान				प्रभावी है
	या सहायता प्राप्त करता				
	है या आशय रखता है				
अन्य	आज्ञापक, यदि आवेदक	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	रजिस्ट्रीकरण की	समुचित प्राधिकरण	वह तारीख जिससे
	के पास आयकर	उपलब्ध कराया जाए	तारीख	-	ऐसा अनुमोदन
	अधिनियम के अधीन				, प्रभावी है
	कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण				
	है				

7. पंक्ति संख्यांक 9क के लिए "संबंध", स्तम्भ में निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा :

- क. लेखक
- ख. संस्थापक
- ग. व्यवस्थापक
- घ. न्यासी
- ङ. सोसाइटी के सदस्य
- च. शासी परिषद् के सदस्य
- छ. निदेशक
- ज. 5 प्रतिशत या अधिक शेयर धारण करने वाले
- झ. कार्यालय धारक (धारकों)

8. पंक्ति 9क और पंक्ति 9ख में विशिष्ट पहचान संख्यांक के स्तंभ में निम्नलिखित भरा जाना चाहिए :

क. यदि स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक उपलब्ध है तो वही आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाएगा :

पहचान का प्रकार	कोड
स्थायी खाता संख्यांक	1
आधार संख्यांक	2

ख. यदि न तो स्थायी खाता संख्यांक और न ही आधार संख्यांक उपलब्ध हों, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए :

पहचान का प्रकार	कोड
जहां व्यक्ति निवास करता है उस देश की करदाता	3
पहचान संख्या	
पासपोर्ड संख्याक	4
निर्वाचक फोटो पहचान संख्याक	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्याक	6
राशन कार्ड संख्याक	7

- 9. पंक्ति संख्यांक 10 में, "क्रियाकलाप की प्रकृति" में निम्नलिखित में से एक चयनित किया जाना आवश्यक है:
 - क. स्कूल
 - ख. महाविद्यालय
 - ग. विश्वविद्यालय
 - घ. अस्पताल
 - ङ. योग संस्थान
 - च. धार्मिक संस्थान
 - छ. कोई अन्य संस्था
- 10. पंक्ति संख्यांक 11 और पंक्ति संख्यांक 12 में, "कारबार की प्रकृति" स्तंभ में कारबार कोड भरा जाना चाहिए ।
- 11. पंक्ति 2 में कोड 13 या 14 का चयन करता है तो पंक्ति संख्यांक 27क और 27ख भरे जाएं ।
- 12. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने अपेक्षित हैं :
 - i. जहां आवेदक किसी लिखत के अधीन सृजित, स्थापित है, वहां लिखत की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ;

- ii. जहां आवेदक किसी लिखत के अधीन से अन्यथा सृजित, स्थापित है, वहां आवेदक के सृजन का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ;
- iii. यथास्थिति, कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसाईटी या लोक न्यास रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि **;**
- iv. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2020 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;
- अायकर अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, यदि कोई हो;
- vi. जहां वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के पूर्व किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों के दौरान आवेदक के अस्तित्व में रहा है, वहां ऐसे पर्व वर्ष या वर्षों के संबंध मं आवेदक के वार्षिक लेखाओं की प्रतिलिपियां :
- vii. जहां वित्तीय वर्ष के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, आवेदक अस्तित्व में रहा हो, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों के संबंध में आवेदक के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतियां (पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अधिक न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं :
- viii. जहां धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार, आवेदक द्वारा कारबार उपक्रम धारित किया गया है और आवेदक, वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां, जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं (जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अनधिक हो) और पंक्ति संख्यांक 2 में 13 या 14 से भिन्न कोड चयन किए जाने की दशा में, ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि :
- ix. जहां धारा 11 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार, आवेदक द्वारा कारबार उपक्रम धारित किया गया है और आवेदक, वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां, जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं (जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अनधिक हो) और पंक्ति संख्यांक 2 में 13 या 14 से भिन्न कोड चयन किए जाने की दशा में, ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि :
- x. दत्तक ग्रहण या उद्देश्यों के उपांतरण की दशा में, जहां पंक्ति संख्यांक 2 में कोड 4 चयन किया जाता है, साक्ष्य देने वाले दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ; और
- xi. न्यास या संस्था या निधि के क्रियाकलापों पर टिप्पण ।

प्ररूप संख्यांक 10कग

(नियम 2ग या नियम 11कक या 17क नियम देखिए)

रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन के लिए आदेश

1.	आवेदक का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)	
2.	आवेदक का नाम और पता	
3.	दस्तावेज पहचान संख्यांक	
4.	आवेदन संख्यांक	
5.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन संख्यांक या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन संख्यांक (विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)	
6.	धारा/उपधारा/खंड/उपखंड/परंतुक जिसमें रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है	
7.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन की तारीख	
8.	निर्धारण वर्ष या वर्ष या वर्षों के लिए, जिसके लिए आवेदक रजिस्ट्रीकृत या अनंतिम रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदन या अनंतिम रूप से अनुमोदित है	
	Өт ीа ти и и и би төт өз и и и и и и и и и и и и и и и и и и	

9. रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन के लिए आदेश

(क) आवेदक के आवेदन और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में लेने के पश्चात्, आवेदक को पंक्ति संख्यांक 10 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन उपरोक्त संख्यांक 8 पर उल्लिखित निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

(ख) आवेदक के आयकर की कराधेयता या अन्यथा, पर आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथकतः विचार किया जाएगा ।

(ग) यह आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा वापस लिए जाने के लिए दायी होगा, यदि पश्चात्वर्ती यह पाया जाता है कि आवेदक के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या वे ऐसी किसी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहें हैं जिनके अधीन यह प्रदान किया गया है, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने रजिस्ट्रीकरण/ अनुमोदन/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया है या यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने आय कर अधिनियम, 1961 में विहित किसी शर्त का उल्लंघन किया है।

9. शर्तें, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है :

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान किया जाता है : -

क) ख)

11. अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम

प्ररूप सं. 10कघ

(नियम 2ग या नियम 11कक या नियम 17क देखिए)

रजिस्ट्रीकरण या अस्वीकरण या निरस्त अनुमोदन के लिए आदेश

1.	आवेदक का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)	
2.	आवेदक का नाम और पता	
3.	दस्तावेज पहचान संख्यांक	
4.	आवेदन संख्यांक	
5.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन संख्यांक (विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)	
6.	धारा/उपधारा/खंड/उपखंड/परंतुक जिसमें रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है	
7.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/ अस्वीकरण /निरस्त की तारीख	
8.	निर्धारण वर्ष या ऐसे वर्ष, जिनके लिए न्यास या संस्था रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित है	
9.	नामंजूर/रद्द करने के कारण, यदि आवेदक का रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन नामंजूर या रद्द किया गया है	
10.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन को नामंजूर या रद्द करने से आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने की तारीख	

11. रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए आदेश :

- क) आवेदक के आवेदन और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, आवेदक को, पंक्ति संख्या (12) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऊपर क्रम सं. 8 पर उल्लिखित निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।
- ख) आवेदक की आय की कराधेयता या अन्यथा, पर आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक् रूप से विचार किया जाएगा ।

ग) यह आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा वापस लिए जाने के लिए दायी है, यदि बाद में यह पाया जाता है कि आवेदक के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या यदि वे दी गई उन सभी शर्तों या उनमें से किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जाते हैं, जिनके अधीन रहते हुए यह प्रदान किया गया है, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने तथ्यों का कपट या दुर्व्यपदेशन से अनुमोदन प्राप्त किया है या यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने आय-कर अधिनियम, 1961 में विहित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है।

12. वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है :

अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है :--

ग)

घ)

13. अनुमोदन प्राधिकारी का नाम और पदनाम

(iv) प्ररूप 10खग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

.";

"प्ररूप संख्या 10 खघ (नियम 18कख देखें)

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1क) के खंड (i) और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा फाइल की जाने वाली विशिष्टियों का विवरण

भाग क

	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के, जो दान की रिपोर्ट करता है, ब्यौरे											
1	1 पैन क ख ग घ ड 1 2 3 4 च											
2	रिपोर्टिंग अवधि	;	व	व व	व	-	व	व				

भाग ख

दाताओं और दानों के ब्यौरे

क्रम	दाता की विशिष्ट पहचान	आईडी कोड	अनुभाग कोड	दाता का	दाता का	दान का प्रकार	प्राप्ति की	दान की रकम
सं	संख्या		-	नाम	पता		पद्धति	(भारतीय रुपए)

मैं, पुत्र/पुत्री यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्ररूप में दिए गए ब्यौरे सत्य और सही हैं ।

मैं किसी भी समय किए गए किसी भी विवरण को प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूं । मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस प्ररूप को (पदनाम) की हैसियत से फाइल कर रहा/रही हूं, मेरा स्थायी खाता संख्या (पैन) है और मैं इस प्ररूप को फाइल करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

हस्ताक्षर

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश :

- यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, रिपोर्ट करने वाले उसी व्यक्ति द्वारा एकाधिक प्ररूप 10कघ फाइल किए जा सकेंगे।
- रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा फाइल की गई नवीनतम आय-कर विवरणी के अनुसार, विवरण फाइल करने वाले रिपोर्टिंग व्यक्ति का पता और संपर्क ब्यौरे स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे और यदि कोई परिवर्तन होता है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को ब्यौरों में परिवर्तन करने का एक विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- 3. धारा कोड में, निम्नलिखित विकल्पों में से वह धारा, जिसके अधीन दाता को दान के लिए कटौती दावा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, भरनी आवश्यक है :
 - क) धारा 80छ
 - ख) धारा 35(1)(iiक)
 - ग) धारा 35(1)(ii)
 - घ) धारा 35(1)(iii)
- 4. "दाता की विशिष्ट पहचान संख्या" में, निम्नलिखित में से एक भरा जाएगा:
 - क. यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है, तो उनमें से एक अनिवार्य रूप से भरा जाए और निम्नलिखित आईडी कोड भरें :

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

ख. यदि पैन या आधार उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाए :

पहचान का प्रकार	कोड
देश की करदाता पहचान संख्या, जहां व्यक्ति निवास करता है ;	3
पासपोर्ट संख्या ;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

- 5. "दान प्रकार" में, निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना आवश्यक है :
 - क) कोरपस
 - ख) विनिर्दिष्ट अनुदान
 - ग) अन्य
- 6. "*प्राप्ति* का ढंग "में, निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना आवश्यक है :

क)	नकद रूप में
ख)	वस्तु रूप में
ग)	इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, जिसमें पाने वाले के खाते में देय चैक/ड्राफ्ट भी है
घ)	अन्य

 ऐसे दाता के मामले में, जिसने ऐसे दान दिए हैं, जो भिन्न-भिन्न धाराओं के अधीन पात्र हैं या जो भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं या भिन्न-भिन्न ढंगों में हैं, ऐसे प्रत्येक संयोजन के लिए पृथक् पंक्तियों को भरना चाहिए।

प्ररूप सं. 10खङ

(नियम 18कख देखें)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन दान का प्रमाण पत्र

	1	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पैन		क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च									
	2	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम																				
	3	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पता																				
आदाता	4	धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाला आदेश संख्या या धारा 35 के अधीन अधिसूचना संख्या (विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या)																				
	5	अनुमोदन/अधिसूचना की तारीख																				
ч	6	विशिष्ट पहचान संख्या	पै	न									क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च
दाता और दान			आधार																			
चा			अ	न्य																		

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

7	दाता का नाम	
8	दाता का पता	
9	प्राप्त दान की रकम	
10	वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसा दान प्राप्त हुआ था	
11	दान का प्रकार	कोर 🔲 विनिर्दिष्ट अनुदान 🔂 अन्य 🔂
12	वह धारा, जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र है	धारा धारा धारा धारा 80छ(5)(vi) 🗇 35(1)(ii) 🗇 35(1)(iiक) 🗇 35(1)(iii) 🗇

सत्यापन

में, पुत्र/पुत्री	,
सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अ	धेनियम,
1961 के अनुसार के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस प्रमाणपत्र को	के
रूप में अपनी हैसियत से बना रहा हूं और मैं इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम भी हूं। मैं स्थायी खाता संख्या	
धारण कर रहा हूं ।	

तारीख :

नरनाथर																																		,,	
हस्ताक्षर	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•••		,

(iv) फॉर्म नं 56 को विलोपित किया जाएगा |

[अधिसूचना संख्या 19/ 2021 /फा. सं. 370142 / 4 / 2021-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम अधिसूचना संख्या 194(अ) तारीख 16 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

INCOME-TAX

G.S.R. 212(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10, ninth proviso to clause (23C) of section 10, sub-clauses (i) (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A, sub-section (3) of section 12AB, first and fifth proviso to sub-section (1) of section 35, sub-section (1A) of section 35, clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G, third proviso to sub-section (5) of section 80G and clauses (viii) and (ix) of sub-section (5) of section 80G, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Income-tax (6th Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1^{st} day of April, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2C, the following rule shall be substituted, namely: -

"2C. Application for the purpose of grant of approval of a fund or trust or institution or university or any hospital or other medical institution under clause (i) or clause (ii) or clause (iii) or clause (iv) of first proviso to clause (23C) of Section 10. (1)An application under clause (i) or clause (ii) or clause (ii) or clause (iii) or clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 for the grant of approval of a fund or trust or institution, or university or other educational institution or any hospital or other medical institution (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in the following Form, namely:-

- (i) Form No. 10A in case of application under clause (i) or clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 to the Principal Commissioner or Commissioner authorised by the Board; or
- (ii) Form No. 10AB in case of application under clause (ii) or clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 to the Principal Commissioner or Commissioner under the said proviso.
- (2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, as required by Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, namely:
 - (a) where the applicant is created or established, under an instrument, self-certified copy of such instrument creating or establishing the applicant;
 - *(b)* where the applicant is created or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;
 - (c) self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;
 - (d) self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;
 - (e) self-certified copy of existing order granting approval under clause (23C) of section 10;
 - (f) self-certified copy of order of rejection of application for grant of approval under clause (23C) of section 10, if any;
 - (g) where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
 - (h) where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years

immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;

- (i) where the income of the applicant includes profits and gains of business as per the provisions of sub-section (4A) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;
- *(j) note on the activities of the applicant.*

(3) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be furnished electronically, —

- (i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(4) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

(5) On receipt of an application in Form No. 10A, the Principal Commissioner or Commissioner, authorised by the Board shall pass an order in writing granting approval under clause (i) or (iii) of the second proviso read with the ninth proviso to clause (23C) of section 10 in Form No. 10AC and issue a sixteen digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) to the applicants making application as per clause (i) of the sub-rule (1).

(6) If, at any point of time, it is noticed that Form No. 10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rules (1) or (2) or by not complying with the requirements of sub- rules (3) or (4), the Principal Commissioner or Commissioner, as referred to in sub-rule (5), after giving an opportunity of being heard, may cancel the approval granted in Form No. 10AC and Unique Registration Number(URN) issued under sub-rule (5), and such approval in Form No.10AC or such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been granted or issued.

(7) In case of an application made under clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 during previous year beginning on 1^{st} day of April, 2021, the provisional approval shall be effective from the assessment year beginning on 1^{st} day of April, 2022.

(8) In case of an application made in Form 10AB under clause (ii) of the sub-rule (1), the order of approval or rejection or cancellation under second proviso read with the ninth proviso to clause (23C) of section 10 shall be in form 10AD and in case if the approval is granted, sixteen digit alphanumeric number Unique Registration Number (URN) shall be issued, by the Principal Commissioner or Commissioner referred to in second proviso to clause (23C) of section 10.

(9) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

- (i) lay down the form, data structure, standards and procedure of:
 - (a) furnishing and verification of Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be;
 - (b) passing the order under second proviso to clause (23C) of section 10.
- (ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the form so furnished or the order so passed.".

(3) In the principal rules, in rule 5C,-

- (a) In sub-rule (1),-
 - (A) in clause (i), for the words, figures and letters "*duplicate in Form No. 3CF-I*", the words, figure and letters "*Form No. 3CF*" shall be substituted;
 - (B) in clause (ii), for the words, figures and letters "*duplicate in Form No. 3CF-II*", the words, figure and letters "*Form No. 3CF*" shall be substituted;

(b) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(1A) Form No. 3CF shall be furnished electronically, —

- (i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(1B) Form No. 3CF shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

(1C) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

(i) lay down the form, data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No. 3CF;

(ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said application made.";

- (c) In sub-rule (2), for the figures and letters "3CF-F", the figure and letters "3CF" shall be substituted;
- (d) In sub-rule (3), for the figures, letters and words "*3CF-I or, as the case may be, Form No. 3CF-II*", the figure and letters "*3CF*" shall be substituted;
- (e) In sub-rule (5), for the figures, letters and words "*3CF-I or Form No. 3CF-II*", the figure and letters "*3CF*" shall be substituted.

(4) In the principal rules, after rule 5C, the following rule shall be inserted, namely: -

"5CA Intimation under Fifth Proviso to sub-section (1) of section 35. (1). An intimation under fifth proviso to sub-section (1) of section 35 by a research association, university, college or other institution referred to in clause (ii) or clause (iii) or the company referred to in clause (iia) of said sub-section (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in Form No.10A to the Principal Commissioner of Commissioner authorised by the Board.

- (2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, as required by *Form No.10A, namely:—*
 - (a) where the applicant is created or established under an instrument, self-certified copy of the instrument;
 - (b) where the applicant created or established otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;
 - (c) self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;
 - (d) self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;
 - (e) self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35.

(3) Form No. 10A shall be furnished electronically, —

- *(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;*
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(4) Form No. 10A shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

(5) On receipt of an application in Form No. 10A, the Principal Commissioner or Commissioner, authorised by the Board shall issue a sixteen digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) to the applicants making application as per sub-rule (1).

(6) If, at any point of time, it is noticed that Form No.10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rules (1) or (2) or by not complying with the requirements of sub- rules (3) or (4), the

Principal Commissioner or Commissioner, after giving an opportunity of being heard, may cancel the Unique Registration Number (URN) issued under sub-rule (5)and such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been issued.

(7) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

(i)lay down the data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No. 10A; and

(ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said form so furnished.".

(5) In the principal rules, in rule 5F, in sub-rule (2),-

- (i) in clause (a), for the words, figures and letters "*duplicate in Form No. 3CF-III*", the words, figure and letters "*Form No. 3CF*" shall be substituted;
- (ii) after clause (a) the following clauses shall be inserted, namely:-

"(aa) Form No. 3CF shall be furnished electronically, —

- (i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(ab) Form No. 3CF shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

(ac) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

(i) lay down the form, data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No.3CF;

(*ii*) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said application made.".

- (iii) in clause (b) for the figures and letters "3CF-III", the figure and letters "3CF" shall be substituted;
- (iv) in clause (d), for the figures and letters "3CF-III" the figure and letters "3CF" shall be substituted.

(6) In the principal rules, for rule 11AA, the following rule shall be substituted, namely: -

"11AA. Requirement for approval of institution of fund under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G. (1) An application for approval under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G, the institution or fund (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in the following Form, namely:-

- (a) Form No. 10A in case of application under clause (i) or clause (iv) of first proviso to subsection (5) of section 80G to the Principal Commissioner or Commissioner authorised by the Board; or
- (b) Form No. 10AB in case of application under clause (ii) or clause (ii) of first proviso to subsection (5) of section 80G to the Principal Commissioner or Commissioner authorised under the said proviso.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, as required by Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, namely:—

- (a) where the applicant is created, or established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
- (b) where the applicant is created, or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;

- (c) self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;
- (d) self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010(42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;
- (e) self-certified copy of existing order granting registration under clause (vi) of subsection (5) of section 80G;
- (f) self-certified copy of order of rejection of application for grant of approval under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G, if any;
- (g) where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
- (*h*) *note on the activities of the applicant.*

(3) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be furnished electronically, —

- *(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;*
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(4) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

- (5) On receipt of an application in Form No.10A, the Principal Commissioner or Commissioner, authorised by the Board shall pass an order in writing granting approval under clause (i) or (iii) of the second proviso read with third proviso of sub-section (5) of section 80G in form 10AC and issue a sixteen digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) to the applicants making application as per clause (a) of the sub-rule (1).
- (6) If, at any point of time, it is noticed that form 10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rule (1) or (2) or by not complying with the requirements of sub- rule (3) or (4), the Principal Commissioner or Commissioner, as referred to in sub-rule (5), after giving an opportunity of being heard, may cancel the approval granted in Form No. 10AC and Unique Registration Number (URN), issued under sub-rule (5), and such approval or such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been granted or issued.
- (7) In case of an application made under clause (iv) of first proviso to sub-section(5) of section 80G, the provisional approval shall be effective from date of order, as referred to in sub- rule (5).
- (8) In case of an application made in Form No. 10AB under clause (ii) of the sub-rule (1), the order of approval or rejection or cancellation under second proviso to sub-section (5) of section 80G shall be in Form No. 10AD and in case if the approval is granted, sixteen digit alphanumeric number Unique Registration Number (URN) shall be issued, by the Principal Commissioner or Commissioner referred to in second proviso to sub-section (5) of section 80G.

(9) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

- (i) lay down the data structure, standards and procedure of,-
 - (a) furnishing and verification of Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be;
 - (b) passing the order under second proviso to sub-section (5) of section 80G.

(ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said application made or order so passed as the case may be.".

(7) In the principal rules, for rule 17A, the following rule shall be substituted, namely:-

"17A Application for registration of charitable or religious trusts etc. (1). An application under subclause (i) or sub-clause(ii) or sub-clause(iii) or sub-clause(iv) or sub-clause(v) or sub-clause(vi) of clause (ac)of sub-section (1) of section 12A for registration of a charitable or religious trust or institution (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in the following Form, namely:-

(*i*) Form No. 10A in case of application under sub-clause (*i*) or (*vi*) of clause (*ac*)of sub-section (1) of section 12A to the Principal Commissioner or Commissioner authorised by the Board; or

(ii) Form No. 10AB in case of application under sub-clause (ii) or (iii) or (iv) or (v) of clause (ac)of sub-section (1) of section 12A to the Principal Commissioner or Commissioner under the said clause.

- (2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, as required by Form Nos.10A or 10AB, as the case may be, namely:—
 - (a) where the applicant is created, or established, under an instrument, self-certified copy of such instrument creating or establishing the applicant;
 - (b) where the applicant is created, or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;
 - (c) self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;
 - (d) self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010(42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;
 - (e) self-certified copy of existing order granting registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be;
 - (f) self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 12A or section 12AB, as the case may be, if any;
 - (g) where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
 - (h) where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;
 - (i) where the income of the applicant includes profits and gains of business as per the provisions of sub-section (4A) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;
 - (j) self-certified copy of the documents evidencing adoption or modification of the objects;
 - (*k*) *note on the activities of the applicant.*

(3) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be furnished electronically, —
- (i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).
- (4) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.
- (5) On receipt of an application in Form No. 10A, the Principal Commissioner or Commissioner, authorised by the Board shall pass an order in writing granting registration under clause (a), or clause (c), of sub-section (1) of section 12AB read with sub-section (3) of the said section in Form No.10AC and issue a sixteen digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) to the applicants making application as per clause (i) of the sub-rule (1).
- (6) If, at any point of time, it is noticed that Form No. 10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rules (1) or (2) or by not complying with the requirements of sub-rules (3) or (4), the Principal Commissioner or Commissioner, as referred to in sub-rule (5), after giving an opportunity of being heard, may cancel the registration in Form No. 10AC and Unique Registration Number (URN), issued under sub-rule (5), and such registration or such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been granted or issued.
- (7) In case of an application made under sub-clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A during previous year beginning on 1st day of April, 2021, the provisional registration shall be effective from the assessment year beginning on 1st day of April, 2022.
- (8) In case of an application made in Form No. 10AB under clause (ii) of the sub-rule (1), the order of registration or rejection or cancellation of registration under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12AB shall be in Form No.10AD and in case if the registration is granted, sixteen digit alphanumeric number Unique Registration Number (URN)shall be issued by the Principal Commissioner or Commissioner referred to in of sub-section (1) of section 12AB.
- (9) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:
 - *(i) lay down the form, data structure, standards and procedure of ,-*

(a) furnishing and verification of Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be;

(b) passing the order under clause (a), sub-clause (ii) of clause (b) and clause (c) of sub-section (1) of section 12AB.

(ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said application made or order so passed as the case may be.".

(8) In the principal rules, after rule 18AAAAA, the following rule shall be inserted, namely: -

"18AB. Furnishing of Statement of particulars and certificate under clause (viii) and clause (ix) of sub-section (5) of section 80G or under sub-section (1A) of section 35. (1) For the purpose of clause (viii) of sub-section (5) of section 80G and clause (i) to sub-section (1A) of section 35, the prescribed authority shall be the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) as the case may be.

(2) Statement of particulars required to be furnished by any research association, university, college or other institution or company or fund (hereinafter referred to as reporting person) under clause (viii) of sub-section (5) of section 80G or under clause (i) to sub-section (1A) of section 35 shall be furnished in respect of each financial year, beginning with the financial year 2021-2022, in Form No. 10BD and shall be verified in the manner indicated therein.

(3) The reporting person, referred to in sub-rule (2), shall, while aggregating the amounts for determining the sums received for reporting in respect of any person, -

- *(i) take into account all the donations of the same nature paid by that person during the financial year; and*
- (ii) proportionately attribute the value of the donation or the aggregated value of all the donations to all the persons, in a case where the donation is recorded in the name of more than one person and where no proportion is specified by the donors, attribute equally to all the donors.

(4) Form No. 10BD, shall be furnished electronically,—

- *(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;*
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(5) Form No. 10BD shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the assessee.

(6) The reporting person shall furnish the certificate as referred to in clause (ix) of sub-section (5) of section 80G or in clause (ii) to sub-section (1A) to section 35, to the donor in Form No. 10 BE specifying the amount of donation received during financial year from such donor, beginning with the financial year 2021-2022.

(7) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall -

(i) lay down the, ,-

(a) data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No. 10BD, single or multiple;

(b) the procedure to submit correction statement for rectification of any mistake or to add, delete or update the information furnished in Form No. 10BD; and

(c) the procedure, formats and standards for the purposes of generation and download of certificates in Form No. 10BE

- (ii) be responsible for,-
 - (a) formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form No.10BD so furnished; and
 - (b) the day-to-day administration in relation to the generation and download of certificates in Form No. 10BE, from the web portal specified by him or the person authorised by him.

(8) The certificate referred to in sub-rule (6) is required to be furnished to the donor on or before the 31^{st} May, immediately following the financial year in which the donation is received.

(9) Form No. 10BD referred to in sub-rule (1) shall be furnished on or before the 31stMay, immediately following the financial year in which the donation is received.".

(9) In the principal rules in the APPENDIX II, -

(i) For Form Nos. 3CF-I, 3CF-II and 3CF-III, the following Form shall be substituted, namely: -

भारत का राजपत्र : असाधारण

					Applica	tion for										
	1	PAN				А	. E	3 (2	D	E	1	2	3	4	F
	2.	Section Co	ode <drop d<="" td=""><td>lown></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></drop>	lown>												
	3	Type of co	onstitution			Ti	rust	Socie	ty	Section compar		othe			thers]
	3a	Whether t instrumen		nt is established u	nder an	Y	es					No				
ails	3b	Date of In	corporatio	n/Creation/Regist	ration											
n det	3c	Registrati	on or Incor	poration Number		Ī										
itutio	3d	Authority	Granting I	Registration/Incor	poration											
Incorporation/constitution details	4		inder FCR.	nt is registered on A Act or any prov		N Y	es					No				
rpor	4a	Relevant I	.aw/Portal													
Inco	4b Registration No.															
		Date of Re														
	4d	Authority	granting rea	gistration												
	4e	Date from	which regi	stration is effective	e											
5 Whether any application for approval u/s 35(1) Yes (ii)/ (iia)/(iii) of Income-tax Act, 1961 made by the applicant in the past has been rejected?								No 🗌								
	6a			hor (s)/ Founder (ing 5% or more of					of Soceity/M	lembe	rs of th	e Gover	ming Co	ouncil/ E	Director	
Details of key persons		S.No.	Name	Relation Percentage o shareholding in case of shareholder			Uniqu Identi Numb	fication		ID code	A	ddress		obile mber	E-mai addres	
key																
ails of	6b	In case if are benefic					provide the	follov	ving de	tails of	the natu	ral pers	ons who			
Det		S.No.	Name	Unique Identific Number	ation	ID code	•		A	ddress				centage eficial o		р
	7	Details of applicant	laboratory	/research facility	/ universit	ty/colleg	ge/other	institut	ion	being man	aged/c	controll	ed/adm	inistere	d/owned	d by the
			me of the	Whether	-	ar of		Addre		Whether		I	Person-	in - cha	rge	
		laborat f universit in	ishment	of activity	7		owned by applicant? (Yes/No)	Nan		ontact- umber	E-mail ID	Identif	que ication nber			
ils																
nal detz	8	If applic	cant has an	y income in the n	ature of p	rofits an	d gains	of busi	nes	s, then prov	ide th	e follov	ving de	tails		
Operational details				ess is incidental to the trust or instit		nment	Natu Busi	re of ness		Address of the busine			1	arate bo ntained?		
	Yes/No						Yes/No									
	9	a co-ope	erative ban	ounts held by the a k to which the Ba to in section 51 of	nking Re	gulation	ne of ap Act, 19	oplicatio 949 (10	on in of 1	n a financia 1949) applie	l instites (inc	tution b luding	eing a any bai	banking nk or ba	compa nking	ny or
	S.No. IFS Code of the financial institution						Name of the financial institution					Account Number				

"FORM NO. 3CF (See rules 5C, 5D, 5E and 5F)

	10	Details	of all land	of all land or buildings or both held by the applicant													
		Addres buildin	s of the land gs	d or			con	chase siderat d/payab		1	Stamp val the time o acquisition	f	Mode acquis (Acqu	sition	'gifted)	Date o Acqui	
	11																
	11	Total n	umber of e	mployee	es of the	e applicant	as on	date of	the ap	oplic	ation:						
Details of research	12		the total nu h activity a					numbe	er of ei	nplo	oyees enga	aged i	n scientific	e, soc	ial or statist	tical	
of re	13	Details o	f research f	acilities/	/ assets	owned by l	Resea	rch As	sociati	on a	is on date	of the	e applicatio	n:			
Details of researcher interview of the second secon		S.No.	. 1	Descripti	ion of ti	he equipme	nt			Da	ate of Acq	uisitio	on	С	Cost of acqui	isition	
	14	Details of	Details of research projects undertaken during previous three years:														
Details of research Projects		S. No. (i)	Name of the Project (ii)	Name the Investiį (iii	e gator	Associat of Investiga with Applica Organisa (iv)	tors int	From (dd/n To	ration Project n mm/yy mm/yy	yy)	Proje cost estima proje cost i case o ongoi proje (Rs. (vi)	/ ted ct n of ng ct)	Out of (vi amount paid to other R&D institution for completion of project	n on	Date of initiation of Project (viii)	sta the l	urrent tus of Project (ix)
ch	15										years:						
Details of research		S.	Title of the Publication *	Name of Author	As of with	ssociation authors ith pplicant ganisation	Na of	ime the urnal	Journ	al Re ber (p	eference DISSN/	Journ		Da pul	te/Month of blication ol./No./Year)	No tir as of	b. of nes cited on date the plication
	16		f patent, cop tails of pater				simil	lar right	s appli	ied f	or or regis			of th	ne applicant	organis	ation:
ilar rights		S.No.	Title of Invention	Descri	ption	Name(s) of the Inventor(s)	I	association of the nventor(with the Applicar rganisation	s) : nt	F appli	/hether Patent ied/patent ranted	app N date N	Patent lication umber and e/Patent umber d date	imple	If ercialised or emented, by whom	of	gs from till date tion(Rs.)
er sin		(h) D-(ile of D-t-'l	n of C	uniakt	Applied/-	nto 1		1				I				
Details of Patent or other similar rights		(b) Deta	ils of Detail Title of creation f which the c right has b applied/gra	for copy een	yrights Descripti	11 0	ne(s) the	o! Aut wi App	ciation f the hor(s) th the plicant nisation		Whether copy Right applied/Cop rights granted		Copy Rights application Number and date/Copy Right Number and date		If ommercialised or implemented, then by whom	d fro Ri da ap	rnings om Copy ghts till te of plication s.)
		L	I	1		1		_									
			ils of trade r			0		ied/grar Associ		— ,	Whether	Te	ide marks	Ife	rade mark is	For	200
		S.No. Title of Description Name(s) of Trade the marks Inventor(s) or other similar					Associ of the Invent with Applie	he or(s) the		whether trade marks applied/ Trade	Ap Nu	nde marks oplication mber and te/ Trade Mark	con	ed, then by whom	or oth	marks	

				rights						organis	ation		Marks granted	Numb da				a	ill date of pplication Rs.)
		(d) Deta				, process	es, me	thods, te	echniques	deve	loped	1:						
		s	.No.	Catego product process method techniq	t/ s/ l/	lew	Title	Des	cription		e(s) of entor(If commer implement wh			Earnings till date of application (Rs.)
		(e) Detai	ls of im	prov	vements	s made in	the ex	isting p	roducts, p	roces	sses, 1	methods, teo	chniques	s:				
		S.No.			proc proc pces etho	luct/ s/ d/	Title	Des	cription		ne(s) the entor		the Inv with App	ation of entor(s) n the licant isation		If commo or imple then by			Earnings till date of application (Rs.)
			S.No. pr m		ew theories, models and ategory: v product/ roccess/ Title nethod/ chnique			othesis of the other of the other of the other of the other of the other	Nan	l: ne(s) the hors(s		Association of the Authors(s) with the Applicant organisation			Wheth theory/hyp widely ac	othesis	is	Earnings till date of application (Rs.)	
	(g) Details of Products of Import Substitution: S.No Description of the Product Brief Description on How it Resulted in											n Import S	ubstitut	ion					
inars,	17	I	Details (of semin			ences, wo		ps, train	ing cours Date(s)		c con	iducted by t		1				
Details of Seminars, Conferences etc			S.No	0.	С	onferer	ice, Work g Course,	shop,		which h	neld TO	,	Estimated allocation			elevance to the activity As		out b	
De																			
s etc.	18	I	Details of	of progr	ramı	me of re	esearch pi	rojects	to be ur	ndertaken	durir	ng the	e forthcomir	ng years	:				
Details of Future Research projects etc	_		S.No.		N	Jame of	the proje	ect	Propos of s project	start o		Dura proje			imate ocatio	d fund n	Descri researc undert	ch to	of be
Deta Rese																			
Educational		De	Details of Educational courses offered by the applie S. No. Details of Courses offer (A)										al number of ursuing the offered at (B)	courses	ts		B), total ents enga arch act (C)	iged i	n
	20	Ha	s return	of inco	ome	been fi	led for the	e last a	issessme	ent year fo	or wh	ich th	ne due date l	nas expi	ired	<u> </u>	Y	es	No
Assets and liabilities	21	1	e detai rpus	ls in ro	w 21	1 to 28	are to be	provi	ded as o	22	f app	licati	ion (amoun	t in rup		ls/reserves	s and su	rplus	other than
sets and	23	Lo	ng tern	ı liabili	ties					24					Othe	er liabilitie	s Г		
As	25	Land and Building					26				Other fixed assets								

		Investmer 11	Investments/deposits made into one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11								
	28	Other asse	ets								
S	29	Income received in three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:									
Income details		Year	Donations Re Research Purp		Donation R other than r		l for purposes	Grant Received for research purposes	Oth inc	her ome	Total Income
Inco			Corpus	Non Corpus	Corpus		Non Corpus				
e.			vide the follow	ing expenditure details for three previous years immediately preceding the previous year in which							which
Expenditure		S.No.	Previous year	Amount a Scientific/S Science/Star Research	ocial		unt applied for Research ities	Total Application		Amount a for objec Association	

I_____,son/daughter of______,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non profit company,or in the rules governing the Institution, made at any time here after. I further declare that I am filing this form in my capacity as ______(designation)having Permanent Account Number (PAN)______ and that I am competent to file this form and verify it.

Date

Signature

ANNEXURE

To be furnished by a research association claiming exemption under section 10(21) Financial Year.

	1.	Details of investment made in modes not prescribed under section	11(5)											
		Nature Investmentof (as on date of the application)Date investment	f Nominal value of Income from investment during the last previous year											
	2.	Details of investment made by persons having substantial interest in the association as referred to in section 13(3) Provide the nominal value of investment in Rs.												
		Person Shares (In Rs) Sec	urity (In Rs) Any other property (In Rs)											
erson	vas used or applied, in a manner which results directly or indirectly into money or not) on any interested person. No													
Benefit to interested person	4.													

भारत का राजपत्र : असाधारण

e	5.	Amount deemed to be income of the association by virtue of section 11(3), as applicable by the first proviso to section 10(21).												
d Incom														
Deeme														

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

Place _____ Date _____ Full Address_____

Signature _____ Designation _____

Instructions to fill Form No. 3CF

1. The name, address and contact details, as per the database of the applicant, will be displayed on the screen.

2. In row 2 the following codes to be provided:

Nature of organisation	Code
Research association as under sub-clause (ii) of sub-section (1) of section 35	1
University, College or other institution as under sub-clause (ii) of sub-section (1) of section 35	2
Research association as under sub-clause (iii) of sub-section (1) of section 35	3
University, College or other institution as under sub-clause (iii) of sub-section (1) of section 35	4
Company as under sub-clause (iia) of sub-section (1) of section 35	5

- 3. Row number 3(b), 3(c) and 3(d) are required to be filled only when the answer to question in row number 3(a) is yes.
- 4. Answer to question in row number 4 should be yes, if the applicant is registered under Income-tax Act or with Darpan portal or under FCRA 2010 (42 of 2010),. Row number 4(a) to 4(e) are required to be filled, if the answer to question in row number 4 is yes. Incorporation/Creation/Registration details provided in row number 3(b), (c) and (d) should not be provided here. If the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government then the registration number with Darpan Portal of the Niti Aayog should be mandatorily provided by the applicant. Registration details are to be provided with respect to all the registrations under Income-tax Act and registration with Darpan portal and under FCRA 2010 as per the following table:

Law	Mandatory/ Non- mandatory	Registration No.	Date of Registration No.	Authority granting registration	Date from which registration is effective
Registrationu/s12A/AA/ABofIncome-taxAct,1961	Mandatory, if registered	Number of Order granting registration is to be provided	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the registration is effective
Approvalu/s10(23C)ofIncome-taxAct,1961	Mandatory, if approved	Number of Order granting approval is to be provided	Date of Approval	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the registration is effective
Approved as a Scientific and Industrial Research Organization by DSIR	Mandatory, if registered	Number of Order granting approval is to be provided	Date of Approval	DSIR	First date of the previous year from which the registration is effective
Registration u/s 35 of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	First date of the previous year from which the Notification is effective
FCRA, 2010	Mandatory if registered under FCRA	Registration number is to be provided	Date of Order	Ministry of Home Affairs	Date from which such approval is effective

Registration number with Darpan portal of Niti Aayog	Mandatory if the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government	Registration number is to be provided	Date of registration	Niti Aayog	Date from which such approval is effective
Others	Mandatory if applicant has any other registration under the Income-tax Act	Registration number is to be provided	Date of registration	Appropriate authority	Date from which such approval is effective

- 5. For row number 6a, column "Relation", one or more of the following shall be selected:
 - a. Author
 - b. Founder
 - c. Settlor
 - d. Trustee
 - e. Members of society
 - f. Members of the Governing Council
 - g. Director

6.

- h. Shareholders holding 5% or more of shareholding
- i. Members of the Governing Council
- j. Office Bearer (s)
- In row 6a, 6b and 7 in the column, unique identification number, the following should be filled:
 - a. If PAN or Aadhaar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhaar Number	2

b. If neither PAN or Aadhaar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country	3
where the person resides;	
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

- 7. Row 13 is applicable for code 1, 3 and 5 in row 2. For description of equipment one of the following options should be selected:
 - i. Plant and Machinery
 - ii. Land and Building
 - iii. Other assets
- 8. In row 14, 15 and 16(a), 16(b), 16(c), 16(d), 16(e), 16(f) for association with Applicant Organisation, one of the following options should be selected:
 - i. Principal Officer
 - ii. Director
 - iii. Employee
 - iv. Members of the Governing Council
 - v. Office Bearer (s)
 - vi. Others
- 9. In row 14 for current status of project, one of the following should be selected :
 - i. Ongoing
 - ii. Completed
- 10. In row 15 details of only original research articles to be submitted. No details of case study/ reviews/ editorial/ letter to editor/ etc. to be submitted.
- 11. Row 19 to be filled if code 2 or code 4 selected in row 2.

- 12. The following documents are required to be attached:
 - where the applicant is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument;
 - where the applicant is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant;
 - self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;
 - where past registration under section 35 rejected then copy of order of rejection (if answer to 5 is yes)
 - self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, if the applicant is registered under such Act;
 - self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35;
 - a comprehensive note on research activities of the applicant;
 - self-certified copy of audited annual accounts of the applicant for the last three years;
 - self-certified copy of Donors, along with their names, complete postal address and the amount paid by each of them
 to the applicant during last three years. Mention PAN or aadhar of donors paying the sums in excess of fifty
 thousand rupees in any of the three financial years;
 - note on research activities undertaken by the applicant.

Instructions to fill Annexure in case claiming exemption 10 (21)

- 1. In row 2 in "Person" one of the following should be selected :
 - a. Founder of applicant
 - b. Any person who has made contribution exceeding rupees one lakh to the applicant
 - c. Any member of a Hindu undivided family (HUF) where the HUF is a founder
 - d. The manager (by whatever name called) of the applicant
 - e. A relative of the founder, member of the manager
 - f. Any concern in which any of the persons referred to in a-e have a substantial interest.
- 2. In row 4 if any benefit has been specified provide a detailed statement of the nature of the benefit, amenity or perquisite."

(ii) For the Form No. 10A, the following Form shall be substituted, namely: -

	1	PAN	A B C D E 1 2 3 4 F							
	2.	Section Code								
etails	3	Nature of activities	Charitable Religious Religious cum charitable							
ıtion d	4	Type of constitution	Trust Society Company Others							
Incorporation/constitution details	4a	Whether the applicant is established under an instrument?	Yes No D							
tion/	4b	Date of Incorporation/Creation/Registration								
corpora	4c	Registration or Incorporation Number								
In	4d	Authority Granting Registration/Incorporation								
	5	Objects of the applicant								
	6	Whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable?	Yes No							
	7	Whether the applicant is registered on DARPAN portal or under FCRA Act or any provision of Income-tax Act?	Yes No							
	7a	Relevant Law/Portal								
ions	7b	Registration No.								
Other registrations	7c	Date of Registration								
ger 1	7d	Authority granting registration								
Other	7e	Date from which registration is effective								
	8a	Whether any application for registration made by the applicant in the past has been rejected?	Yes No							
	8b	Whether claiming exemption under clause 21 of section 10 of the Income-tax Act	Yes No							
D et	9a	Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/True Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding	stee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/ ng / Office Bearer (s) as on the date of application:							

"FORM NO. 10A

(See rule 2C or 5CA or 11AA or 17A)

Application for registration or provisional registration or intimation or approval or provisional approval

[PART II—SEC. 3(i)]

		S.No	Name	Rela	tion	shareh in ca	entage of nolding ase of holder	Id	Unique entificatio Number		D code	Addre	ess	Mobile number		E-mail ddress	
	9b		any of per-									ne follow	ing c	letails of	he na	tural person	s
		S.No	Name	Unique Identifi Numbe	cation		ID code	•		Addı	ress			Percenta beneficia			
	10	expired	n of income												No		
		The detai	ils in row 1	1 to 19 a	re to be	provide	ed as on d	late	of applica	ation (a	mount in	rupees)	:				
ties	11	Corpus							12	Funds	/reserves	and surj	olus c	other than	corp	15	
Assets and liabilities	13	Long terr	n liabilities	8					14	Other	liabilities	5					
ssets an	15	Land and	Building						16	Other	fixed ass	ets					
Α	17	Investme section 1	nts/deposit 1	s made i	nto one o	or more	of the for	rms	or modes	s specifi	ed in sub	-section	(5) 0	of]
	18	Investme	nts/deposit	s other t	han ment	tioned i	n row nui	nbei	17 abov	e							
	19	Other ass	ets														
ils	20	Income re	eceived in	three pre	evious ye	ars imn	nediately	prec	eding the	e previo	us year ii	which	appli	cation is 1	nade:		
Income details		Year	Grants re Central o Governm	or State	rom	unde	ts receive r Corpora onsibility	te S		oanies	Other Grant	Specific s	;	Other income		Total	
	01										<u> </u>	37		<u> </u>	N.		
	21a	Whether t	the fund or	the instit	ution has	incurre	d any exp	endi	ture of rel	ligious n	ature	Yes			No		
Religious activities	21b		ase provide on is made:		Ũ		three pre-	viou	•			e	1	2			
Rel: acti		S.No.	Previous	year	Total Ir	ncome			Expend Nature		Religious	3	Perc	centage to	Total	Income	

I_____,son/daughter of_____,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non profit company, or in the rules governing the Institution ,made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as ______(designation) having Permanent Account Number (PAN)______ and that I am competent to file this form and verify it.

Date Instructions to fill Form N

Signature

Instructions to fill Form No. 10A

1. The name, address and contact details, as per the database of the applicant, will be displayed on the screen.

2. Application for registration under section 12A/80G/10(23C) select one of the following code in row 2

1	Sub clause (i) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	01
2	Sub clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	02
3	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	03
4	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	04
5	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	05
6	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	06
7	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	07
8	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	08
9	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	09

भारत का राजपत्र : असाधारण

	under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	
10	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	10
11	Clause (i) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	11
12	Clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	12

Application for intimation under Fifth proviso to sub-section (1) of section 35, select one of the following code in row 2:

Sr.no	Category	Relevant	Relevant Clause of sub-section(1) of section 35		
		Clause(ii)	Scientific Research	13	
1.	Research Association	C1 (''')	Social Science Research	14	
		Clause(iii)	Statistical Research	15	
		Clause(ii)	Scientific Research	16	
2.	University, college or other institution	Clause(iii)	Social Science Research	17	
	other institution	Clause(III)	Statistical Research	18	
3.	Company	npany Clause(iia) Scientific Research		19	

3. If applicant selects code 11 or 12 in row 2 then option "religious" in row 3 (nature of activities) shall not be applicable.

4. If applicant selects code 13-19 in row 2 then row 3 (nature of activities) and row 5 (objects) shall not be filled.

- 5. Row number 4(b), 4(c) and 4(d) are required to be filled only when the answer to question in row number 4(a) is yes.
- 6. For the "objects of the applicant" in row number 5, any one or more of the following are to be selected:

(i)	Religious
(ii)	Relief of poor
(iii)	Education
(iv)	Medical relief
(v)	Yoga
(vi)	Preservation of Environment (including watersheds, forests and wildlife)
(vii)	Preservation of Monuments or Places or Objects of Artistic or Historic interest
(viii)	Advancement of any other objects of general public utility

7. Answer to question in row number 7 should be yes, if the applicant is registered with Darpan portal or under FCRA 2010. Row number 7(a) to 7(e) are required to be filled, if the answer to question in row number 7 is yes. Incorporation/Creation/Registration details provided in row number 4(b), (c) and (d) should not be provided here. If the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government then the registration number with Darpan Portal of the Niti Aayog should be mandatorily provided by the applicant. Registration details are to be provided with respect to all the registrations under Income-tax Act and registration with Darpan portal and under FCRA 2010 as per the following table:

Relevant Law/Portal	To be enabled when the following codes are selected in row 2	Mandatory/Non- mandatory	Registration No.	Date of Registration	Authority granting registration	Date from which registration is effective
Registration u/s 10(23C) clause (iv)/(v)/(vi)/(via) of Income-tax Act, 1961	03 or 04 or 05 or 06	Mandatory	Number of Order granting approval	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the approval is effective
Registration u/s 10(46) of Income- tax Act, 1961	01-19	Mandatory if notified under section 10(46)	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	Date from which such Notification is effective
Registration u/s 12A/AA/AB of Income-tax Act, 1961	01	Mandatory	Number of Order granting registration is to be provided	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the registration is effective
Registration u/s 35 of Income-tax Act, 1961	13-19	Mandatory	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	First date of the previous year from which the Notification is effective

[PART II—SEC. 3(i)]

Registration u/s 80G of Income- tax Act, 1961	11	Mandatory	Number of Order granting registration	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	Date from which such registration is effective
FCRA, 2010	01-19	Mandatory if registered under FCRA	Registration number is to be provided	Date of Order	Ministry of Home Affairs	Datefromwhichsuchapprovaliseffective
Registration number with Darpan portal of Niti Aayog	01-19	Mandatory if the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government	Registration number is to be provided	Date of registration	Niti Aayog	Date from which such approval is effective
Others	01-19	Mandatory if applicant has any other registration under the Income- tax Act	Registration number is to be provided	Date of registration	Appropriate authority	Date from which such approval is effective

8. For row number 9a, column "Relation", one or more of the following shall be selected:

- a. Author
- b. Founder
- c. Settlor
- d. Trustee
- e. Members of society
- f. Members of the Governing Council
- g. Director

9.

- h. Shareholders holding 5% or more of shareholding
- i. Office Bearer (s)
- In row 9a and 9b, in the column, unique identification number, the following should be filled:
 - a. If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhar Number	2

b. If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country	3
where the person resides;	
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

- 10. Row number 11 to 20 are required to be filled if:
- (a) If applicant selects code 02 or 07/08/09/10 or 12 in row 2; or
- (b) If applicant selects code 01, 03/04/05/06 or 11 and option "no" is selected in row no 10.
- 11. If applicant selects code 12 in row 2 then row number 21a and 21b are to be filled.
- 12. The following documents are required to be attached:

Section code	Documents required to be attached
01	 where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; where the applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant; self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act; self-certified copy of existing order granting registration under section 12AA or section 12AB, as the case may be. where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the trust or

	institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up(to be provided if answer to row 10 is "No").
02	 where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
	 where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of
	 the document evidencing the creation or establishment of the applicant; self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or
	• sen-centrical copy of registration with Registration Companies of Registration Finnis and Societies of Registration Public Trusts, as the case may be;
	• self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act;
	 where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which
	the application for registration is made, self certified copies of the annual accounts of the trust or institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
	• where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which
	the application has been in existence during year or years prior to the initiated year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self- certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;
	 self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 12A or
03/04/05/06	 section 12AA or section 12AB, as the case may be, if any; where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the
03/04/03/00	instrument;
	• where the applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;
	• self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or
	 Registrar of Public Trusts, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the
	applicant is registered under such Act;
	• self-certified copy of existing order granting registration under clause (23C) of section 10 of the Income- tax Act.
	• where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if
07/08/09/10	 answer to row 10 is "No"). where the applicant is created, is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
01/00/09/10	• where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant;
	• self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;
	• self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the
	 applicant is registered under such Act; where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which
	the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
	 self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 10(23C), if
11	 any; where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the
	instrument;
	• where the applicant is created, or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant6;
	 self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;
	• self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the
	 applicant is registered under such Act; self-certified copy of existing order granting registration under section 80G of the Income-tax Act.
	• where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which
	the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if
12	 answer to row 10 is "No"). where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the
	instrument;
	• where the trust is created, or the institution is established, otherwise than under an instrument, self- certified copy of the document evidencing the creation of the trust, or establishment of the institution;
	• self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or
	 Registrar of Public Trusts, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the
	 applicant is registered under such Act; where the applicant or the institution has been in existence during any year or years prior to the financial
	• where the applicant of the institution has been in existence during any year or years prior to the infanctal year in which the application for registration is made, self certified copies of the annual accounts of the

	applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
	 self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 80G, if any;
13-19	 where the reporting person is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument;
	 where the reporting person is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the reporting person;
	 self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;
	 self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act;
	 self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35.

(iii) after Form No. 10AA the following Forms shall be inserted, namely: -

Application for registration or approval				
	1	PAN A B C D E 1 2 3 4 F		
	2.	Section Code		
etails	3	Nature of activities Charitable Religious Religious cum charitable		
ttion de	4	Type of constitution Trust Society Company Others		
Incorporation/constitution details	4a	Whether the applicant is established under an Yes No		
tion/	4b	Date of Incorporation/Creation/Registration		
orpora	4c	Registration or Incorporation Number		
Inc	4d	Authority Granting Registration/Incorporation		
	5	Objects of the applicant		
	6	Whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable?		
	7	Whether the applicant is registered on DARPAN portal or under FCRA Act or any provision of Income-tax Act? Yes No		
	7a	Relevant Law/Portal		
ions	7b	Registration No.		
Other registrations	7c	Date of Registration		
r regi	7d	Authority granting registration		
Othe	7e	Date from which registration is effective		
	8a	Whether any application for registration made by the applicant in the past has been rejected? Yes No		
	8b	Whether claiming exemption under clause 21 of section 10 Yes No		
	9a	Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/		
y persons		S.No Name Relation Percentage of shareholding Unique Identification ID code Number Address Mobile number E-mail address S.No Name Relation Percentage of shareholding in case of shareholder Unique Identification ID code Address Mobile number E-mail address		
Details of key persons	9b	In case if any of persons (as mentioned in row 9a) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application: S.No Name Unique ID code Address Percentage of		
	10	Identification beneficial ownership Number Identification		
Oper ation	10	Details of school/college/university/hospital/yoga institute/ religious places/any other institution being managed/controlled/administered/owned by the applicant		

"FORM NO. 10AB (See rule 2C or 11AA or 17A) Application for registration or approval

			he lege/university/l eligious places/a		Nature of	Address		ed by		Person- ir		-]
		institute/re		ny otner	activity			icant? /No)	Nam	e Contact- Number		E-mail ID	
	11	If applicant has business undertaking as "property held under trust" within the meaning of section 11(4), then provide the following details											
		Nature of I	Business	Address of the	Address of the business				Whether separate books of account maintained?				
									Yes/N	0			
	12	If applicar	t has any incom	e in the nature of	of profits a	nd gains of	f busine	ess, then	provide	the followin	g deta	uls	
			ne business is ind of the objective			Nature of Business		Address the business		Whether sep account mai			
		Yes/NO								YES/NO			
	13	company o	all Accounts hel or a co-operative	bank to which	the Bankin	ng Regulat	ne of ap ion Act	plication , 1949 (1	in a fin 0 of 19	ancial institu 49) applies (i	ition b includ	eing a banking ing any bank o	g or
		S.No. I	FS Code of the	financial institu	tion	,		Name o instituti		nancial		Account Number	
	14	Datails of	all land or build	ings or both bal	d by the or	nlicent							
			all land or build	Size of land or buildings in square metres	Purchas conside paid/pa	e ration	Stamp the tin acquis		ac	ode of quisition .cquired/gifte	ed)	Date of Acquisition	
	15		"advancement o ear immediately Whether it in activity of re other consid	preceding the provide the provide the provide the carr not only any set of the carr	previous yo ying on of	ear in whic any activit ation to an	h appli ty in the	cation is	made:	, commerce o	or busi	iness, or any	
		(ii)	Whether the	activity is unde	ertaken in t ity; and		of actua	l carryin	g out of	f such advand	cemen	t of any other	
		(iii)	Details of re	ceipts from suc	h activity:								
		S.No.	Тс	tal Receipts	from	vity(ies) re		Perce Rece		o Total	Rema	rks, if any	
	16	Has return of	f income been fil	ad for the last as	seesment 1	year for wh	ich the	due date	has	Yes	3	No 🗌	
	10	expired											
	17	Corpus	n row 17 to 25 a	re to be provid	ed as on da	18			-	es) : surplus other	than o	corpus	
ities						10							ĺ
Assets and liabilities	19	Long term li				20	Othe	er liabilit	ies				
sets a	21	Land and Bu	uilding			22	Oth	er fixed a	ssets				l
As	23	Investments/ section 11	deposits made i	nto one or more	of the for	ms or mod	es spec	ified in s	ub-sect	ion (5) of			
	24		deposits other th	nan mentioned i	n row num	ber 17 abo	ove						
	25	Other assets											

ils	26	Income re	eceived in three pre	evious yea	years immediately preceding the previous year in which application is made:					-		
Income details		Year	Grants received f Central or State Government	rom	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				Othe incor	-	Total	
	27a	Whether t	he fund or the instit	or the institution has incurred any expenditure of religious nature Yes No						<u> </u>		
Religious activities	27b		If yes, please provide the following details for three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:									
Reli acti		S.No.	Previous year	Total In	come	Expenditure of R Nature	eligiou	15	Percentage	to Total	Income	

I_____,son/daughter of______,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non profit company, or in the rules governing the Institution ,made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as ______(designation) having Permanent Account Number (PAN)______ and that I am competent to file this form and verify it.

Date

Signature

Instructions to fill Form No. 10AB

- 1. The name, address and contact details, as per the database of the applicant, will be displayed on the screen.
- 2. One of the following should be selected in row number 2:

1	Sub clause (ii) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	01
2	Sub clause (iii) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	02
3	Sub clause (iv) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	03
4	Sub clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	04
5	Clause (ii), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	05
	under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	
6	Clause (ii), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	06
	under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	
7	Clause (ii), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	07
	under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	
8	Clause (ii), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	08
	under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	
9	Clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	09
	under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	
10	Clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	10
	under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	
11	Clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	11
	under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	
12	Clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	12
	under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	
13	Clause (ii) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	13
14	Clause (iii) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	14

3. If applicant selects code 13 or 14 in row 2 then option "religious" in row 3 (nature of activities) shall not be applicable.

- 4. Row number 4(b), 4(c) and 4(d) are required to be filled only when the answer to question in row number 4(a) is yes.
- 5. For the "objects of the applicant" in row number 5, any one or more of the following are to be selected:
 - (i) Religious
 - (ii) Relief of poor
 - (iii) Education
 - (iv) Medical relief
 - (v) Yoga
 - (vi) Preservation of Environment (including watersheds, forests and wildlife)
 - (vii) Preservation of Monuments or Places or Objects of Artistic or Historic interest
 - (viii) Advancement of any other objects of general public utility
- 6. Answer to question in row number 7 should be yes, if the applicant is registered under Income-tax Act or with Darpan portal or under FCRA Act, 2010(42 of 2010),. Row number 7(a) to 7(e) are required to be filled, if the answer to question in row number 7 is yes. Incorporation/Creation/Registration details provided in row number 4(b), (c) and (d) should not be provided here. If the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government then the registration number with Darpan Portal of the Niti Aayog should be mandatorily provided by the applicant. Registration details are to be provided with respect to all the registrations under Income-tax Act and registration with Darpan portal and under FCRA 2010 as per the following table:

Relevant Law/Portal	Mandatory/Non- mandatory	Registration No.	Date of Registration	Authority granting registration	Date from which registration is effective
Registration u/s 10(23C) clause (iv)/(v)/(vi)/(via) of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Order granting approval	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the approval is effective
Registration u/s 10(46) of Income-tax Act, 1961	Mandatory if notified under section 10(46)	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	Date from which such Notification is effective
Registration u/s 12A/AA/AB of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Order granting registration is to be provided	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the registration is effective
Registration u/s 35 of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	First date of the previous year from which the Notification is effective
Registration u/s 80G of Income- tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Order granting registration	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	Date from which such registration is effective
FCRA, 2010	Mandatory if registered under FCRA	Registration number is to be provided	Date of Order	Ministry of Home Affairs	Date from which such approval is effective
Registration number with Darpan portal of Niti Aayog	Mandatory if the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government	Registration number is to be provided	Date of registration	Niti Aayog	Date from which such approval is effective
Others	Mandatory if applicant has any other registration under the Income- tax Act	Registration number is to be provided	Date of registration	Appropriate authority	Date from which such approval is effective

7. For row number 9a, column "Relation", one or more of the following shall be selected:

- a. Author
- b. Founder
- c. Settlor
- d. Trustee
- e. Members of society
- f. Members of the Governing Council
- g. Director

a.

- h. Shareholders holding 5% or more of shareholding
- i. Office Bearer (s)
- 8. In row 9a and 9b, in the column, unique identification number, the following should be filled:
 - If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code			
PAN	1			
Aadhar Number	2			

b. If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country	3

where the person resides;	
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

- 9. In row no 10, in column "Nature of activity", one of the following needs to be selected:
 - a. School
 - b. College
 - c. University
 - d. Hospital
 - e. Yoga institute
 - f. religious places
 - g. any other institution
- 10. In row no 11 and 12, in the column "nature of business", business code should be filled.
- 11. If applicant selects code 13 or 14 in row 2 then row number 27a and 27b are to be filled.
- 12. The following documents are required to be attached:
 - where the applicant is created, is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
 where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of
 - ii. where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation of the applicant;
 - self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;
 - iv. self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act;
 - v. self-certified copy of existing order granting registration or approval under section 12A or section 12AA or section 12AB or clause (23C) of section 10 or section 80G of the Income-tax Act, as the case may be;
 - vi. self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 12A or section 12AA or section 12AB or clause (23C) of section 10 or section 80G of the Income-tax Act, as the case may be, if any;
 - vii. where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
 - viii. where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period in case where section code is other than 13 or 14 in row number 2;
 - ix. where the income of the applicant includes profits and gains of business as per the provisions of sub-section (4A) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period in case where section code is other than 13 or 14 in row number 2;
 - x. self-certified copy of the documents evidencing adoption or modification of the objects in case where section code is 4 in row number 2; and
 - xi. note on the activities of the trust or institution or fund.

1.	Permanent Account Number (PAN) of the applicant	
2.	Name and address of the applicant	
3.	Document Identification Number	
4.	Application Number	
5.	Registration/Approval Number or the provisional registration/approval number (Unique Registration Number)	
6.	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which registration/approval/provisional registration/provisional approval is being granted	
7.	Date of registration/approval/provisional registration/provisional approval	
8.	Assessment year or years for which the applicant is registered or provisionally registered or approval or provisionally approved	

FORM NO. 10AC (See rule 2C or 11AA or 17A) Order for registration or provisional registration or approval or provisional approval

	9. Order for registration/approval/provisional registration/provisional approval:
a)	After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted registration/approval/provisional registration/provisional approval for the assessment year(s) mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.
b)	The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.
c)	This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the registration/approval/provisional registration/provisional approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.
	10. Conditions subject to which registration/approval/provisional registration/provisional approval is being granted:
The appro	oval is granted subject to the following conditions: -
	a) b)
11.	Name and designation of the approving authority

FORM NO. 10AD (See rule2C or 11AA or 17A) Order for registration or approval or rejection or cancellation

r					
1.	Permanent Account Number (PAN) of the applicant				
2.	Name and address of the applicant				
3.	Document Identification Number				
4.	Application Number				
5.	Registration/Approval Number (Unique Registration Number)				
6.	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which registration/approval is being granted				
7.	Date of registration/approval/registration/cancellation				
8.	Assessment year or years for which the trust or institution is registered or approval				
9.	Reasons of rejection/cancellation, in case if the application for registration/approval has been rejected or cancelled				
10.	Date of opportunity afforded to the applicant before such rejection or cancellation of application for registration/ approval				
	11. Order for reg	istration/approval:			
a)	After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted registration/approval for the assessment year(s), mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number (12).				
b)		ald be separately considered as per the provisions of the Income Tax			
c)					
	12. Conditions subject to which reg	gistration/approval is being granted:			
The appro	oval is granted subject to the following conditions: -				
	c) d)				
13.	Name and designation of the approving authority				
		,", • *			

(iv) after the form 10BC, the following Forms shall be inserted, namely: -

"FORM No. 10BD

(See rule 18AB)

[e-Form]

Statement of particulars to be filed by reporting person under clause (viii) of sub-section (5) of section 80G and clause (i) to sub-section (1A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961

Part A

	Details of the reporting person reporting the donations				
1	PAN	A B C D E 1 2 3 4 F			
2	Reporting period	Y Y Y Y - Y Y			

Part B

Details of the donors and donations

Sl. No.	Unique Identification Number of the donor	ID code	Section code	Name of donor	Address of donor	Donation Type	Mode of receipt	Amount of donation (Indian
								rupees)

I______,son/daughter of______,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the particulars submitted, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as ______ (designation) having Permanent Account Number (PAN)_____ and that I am competent to file this form and verify it.

Signature

Instructions to fill the form:

- 1. Multiple form 10BD may be filed by the same reporting person, as per the procedures laid down by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be.
- 2. The address and contact details of the reporting person filing the statement, as per the latest Income Tax Return filed by the reporting person, will be displayed on the screen and if there is a change, the reporting person will be provided an option to change the details.
- 3. In section code, the section under which donor is allowed to claim deduction for the donation needs to be filled out of the following options:

a) Section 80G	
----------------	--

- b) Section 35(1)(iia)
- c) Section 35(1)(ii)
- d) Section 35(1)(iii)
- 4. In "Unique identification number of the donor", one of the following shall be filled:
 - a. If PAN or Aadhaar number is available, one of that should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhaar Number	2

b. If neither PAN or Aadhaar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country	3
where the person resides;	
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

5. In "Donation type", one of the following needs to be selected:

- a) Corpus
- b) Specific grant
- c) Others
- 6. In "Mode of receipt", one of the following needs to be selected:

a)	Cash
b)	Kind
c)	Electronic modes including account payee cheque/draft
d)	Others

7. In case of a donor which have given donations, which are eligible under different sections or which are of different types or in different modes, separate rows should be filled for each such combination.

FORM NO. 10BE

(See rule 18AB)

Certificate of donation under clause (ix) of sub-section (5) of section 80G and under clause (ii) to sub-section (1A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961

Donee	1	PAN of the reporting person	A B C D E 1 2 3 4 F
	2	Name of the reporting person	
	3	Address of the reporting person	
	4	Order number granting approval under section 80G or Notification number under section 35 (Unique Registration Number)	
	5	Date of approval/Notification	
onations	6	Unique Identification Number	PAN A B C D E 1 2 3 4 F Aadhaar
	7	Name of Donor	
p pı	8	Address of Donor	
Donor and donations	9	Amount of donation received	
	10	Financial year in which such donation was received	
	11	Type of donation	Corpus Specific grants Others
	12	Section under which donation is eligible for deduction	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $

VERIFICATION

I, son/ daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the certificate is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this certificate in my capacity as ______ and I am also competent to issue this certificate. I am holding permanent account number ______.

Date:

Signature:";

(iv) Form No. 56 shall be omitted.

[Notification No. 19/2021/ F. No. 370142/4/2021-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 194(E) dated 16th March, 2021.